The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (Shri Suresh Pachouri): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 126, the First Schedule and the Second Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI AJIT SINGH: Sir, I move:

"That the Bill be passed".

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (Shri Suresh Pachouri): Now, Shri Rama Shanker Kaushik to raise the discussion on the working of the Ministry of Agriculture.

DISCUSSION ON WORKING OF MINISTRY OF AGRICULTURE

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, इससे पहले कि मैं कृषि मंत्रालय के संबंध में कुछ निवेदन करूं, मैं माननीय सभापति जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने समय के अभाव के रहते हुए भी इस खास कृषि मंत्रालय के ऊपर चर्चा कराने का फैसला लिया। साथ ही श्रीमन, मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं, माननीय प्रणब मुखर्जी, माननीय सुरेश पचौरी तथा संसदीय कार्य मंत्री माननीय प्रमोद महाजन का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस चर्चा को कराने के लिए अपना पूरा सहयोग प्रदान किया।

श्रीमन, कृषि क्षेत्र हमारे देश का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह केवल हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही नहीं है वरना हमारी संस्कृति, हमारी सामाजिकता के साथ भी पूरे तरीके से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं श्रीमन, हमारे त्योहारों, हमारे गीतों, हमारे साहित्य से भी कृषि का बड़ा गहरा संबंध है। श्रीमन्, अर्थव्यवस्था का जहां तक प्रश्न है सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से हमारे देश की अर्थव्यवस्था की यह मुख्य कड़ी रहा है। वैसे तो मैं यह मानता हूं कि सरकार का कोई भी विभाग एक-दूसरे से अलग नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, अलग-थलग नहीं है, लेकिन कृषि मंत्रालय का दूसरे विभागों से बहुत ही गहरा संबंध है। जैसे इसका रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से बहुत संबंध है, उद्योग विभाग से पूरा संबंध है और अब वाणिज्य से भी इसक बहुत गहरा संबंध हो गया है। वाणिज्य में आयात-निर्यात की नीतियों से यह क्षेत्र काफी प्रभावित हो रहा है और होगा भी तथा आगे भी हमारी सरकार की मंशा से यही लगता है कि उदारीकरण की नीति के नाते वाणिज्य विभाग से कृषि विभाग का संबंध बहुत ही नज़दीकी होने वाला है और हो गया है। श्रीमान, आज हमारे देश की स्थिति बहुत खराब है, कृषकों की स्थिति बहुत खराब है, उद्योग मंदी में चल रहा है तथा व्यापार ठप्प है। उसका बहुत बड़ा कारण यही है कि हम लगातार दस वर्षों से कृषि क्षेत्र की उपेक्षा करते चले जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में हमारा निवेश कम होता चला जा रहा

है। चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश हो, चाहे सरकार की तरफ से निवेश हो। जिस तुलना में दूसरे विभागों में या दूसरे क्षेत्रों में सरकार का या सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश बढ़ रहा है, उस तुलना में कृषि क्षेत्र में निवेश घट रहा है। श्रीमन्, आज स्थिति यह है कि हमारे 75 फीसदी लोग कृषि पर निर्भर हैं और हमारे सकल घरेलू उत्पाद में उसका हिस्सा केवल 24 प्रतिशत है। महोदय, मैं यहां यह बात कहना चाहता हूं कि 24 प्रतिशत का आंकड़ा अपने में महत्वपूर्ण नहीं है, चूंकि मैं इस बात को जानता हूं कि कृषि क्षेत्र में जो हमारा 24 प्रतिशत का आंकड़ा है यह और भी घट सकता है, घटना चाहिए, लेकिन वह इस परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे देश के 75 फीसदी लोग खेती पर निर्भर हैं, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमन्, 1950 के दशक में हमारे सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा लगभग 60 प्रतिशत था, 1990 के शुरू में 30 प्रतिशत, 1998 में 26 प्रतिशत हो गया और आज की तारीख में 24 प्रतिशत है। लेकिन जो हमारा आंकड़ा कृषि के ऊपर निर्भरता वाला है वह उतना ही है यानी 75 फीसदी तब निर्भरता थी और 75 फ़ीसदी आज निर्भरता है। यह एक मोटा सा सीधा-सादा समझने वाला सिद्धांत है कि जब 75 फीसदी लोगों का योगदान हमारे सकल घरेलू उत्पाद में 24 प्रतिशत होगा तो वे देश से दे कितना सकेंगे, ले नहीं पायेंगे फिर, उतना ही हिस्सा ले पायेंगे। श्रीमन्, शेयर मॉर्केट या सट्टेबाजी या मुद्रास्फीति इन से देश की आर्थिक स्थिति का अर्द्ध सत्य ही मालूम होता है, पूरा सत्य मालूम नहीं होता। यही वजह है कि आज हमारे देश में चारों ओर मंदी छाई हुई है। उद्योग बंद होते चले जा रहे हैं, व्यापार ठप्प है, क्योंकि जब तक काश्तकार जो 75 फीसदी हमारे देश में रहता है वह खुशहाल नहीं होगा तब तक हमारे देश के उद्योग भी ठप्प रहेंगे, मंदी भी रहेगी और हमारा व्यापार भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि मैंने जैसे 24 का आंकड़ा दिया, वह कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मैं अपने में इस बात को मानता हूं, क्योंकि जितने देश विकसित होते चले जा रहे हैं, उनकी उतनी ही कृषि पर निर्भरता कम होती चली जा रही है। विकसित देशों में मैं इस बात को जानता हूं कि केवल तीन प्रतिशत ही उनका सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा है, चाहे वह अमरीका हो या यूरोपियन यूनियन के देश हों। इन देशों में केवल 3 प्रतिशत कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है।

लेकिन उनके यहां कृषि क्षेत्र पर निर्भरता 75 प्रतिशत नहीं है, वहां निर्भरता केवल एक प्रतिशत या उससे कम है। ऐसी स्थिति में सकल घरेलू उत्पाद में उनकी हिस्सेदारी वह ज्यादा ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने उत्पादन में अपना हिस्सा तादाद से ज्यादा दिया है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। आप देखें कि गरीब देशों में कृषि क्षेत्र में 31 प्रतिशत का योगदान रहता है, उद्योग में 27 प्रतिशत रहता है, विनिर्माण में 16 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 12 प्रतिशत रहता है, वहीं मध्यम आय वाले देशों में कृषि का हिस्सा 16 प्रतिशत, उद्योग का 36 प्रतिशत, विनिर्माण का 32 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र का 36 प्रतिशत रहता है, लेकिन विकसित देशों में कृषि का हिस्सा केवल 3 प्रतिशत, उद्योग का 36 प्रतिशत, विनिर्माण का 24 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र का 64 प्रतिशत है और भारत में कृषि क्षेत्र का 24 प्रतिशत, उद्योग का 31 प्रतिशत, विनिर्माण का 21 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र का 43 प्रतिशत रहता है। इसके साथ ही हमारे देश में जो प्रतिव्यक्ति आय है, वह भी हम अच्छी तरह जानते हैं। भारत में 35 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हैं। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि हम अपने देश की तरक्की कृषि के बिना कैसे कर सकते हैं? वह हो नहीं सकती। उपसभाध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने एक बात कही है कि कृषि क्षेत्र की उन्नति केवल निर्यात के जरिए हो सकती है। आप उदारीकरण की नीति का फायदा उठाओ, "दोहा" घोषणा का फायदा उठाओ और कृषि

क्षेत्र को आयात, निर्यात के लिए खोल दो और कृषकों से कह दो कि वह कम्पटीशन करे। लेकिन हमारे देश का किसान कम्पटीशन कैसे करे? इस देश में बिजली उन्हें समय पर नहीं मिलती, खाद नहीं मिलती, अच्छे बीज नहीं मिलते और आप उनसे कह रहे हैं कि आप कम्पटीशन में कूदो और निर्यात के जरिए अपनी हैसियत बढ़ाओ। उपसभाध्यक्ष महोदय, निर्यात के मामले में भी बहु-राष्ट्रीय कंपनियों की उदारीकरण नीति के चलते आज स्थिति इतनी भयानक हो गयी है कि उसकी कल्पना करने से ही डर लगता है। आज उन बहु-राष्ट्रीय कंपनियों का व्यापार प्रति वर्ष 10 हजार अरब डॉलर का हो गया है और उनकी हिस्सेदारी निर्यात में जहां वर्ष 80 में केवल 25 प्रतिशत थी, 90 के दशक के शुरू में 33 प्रतिशत हो गयी वहीं आज निर्यात क्षेत्र में उनकी हिस्सेदारी 50 प्रतिशत है। श्रीमन्, अगर उदारीकरण की नीति इसी तरह से चली और इसी तरह हमारे देश की सरकार चली तो निश्चित रूप से निर्यात का फायदा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ही होने वाला है। फिर आप देखें कि निर्यात के लिए आप के यहां आवश्यकताएं कितनी हैं? आपके यहां गुणवत्ता नहीं, सामान उतना नहीं, किसान को बिजली नहीं दे पाते तो फिर वह निर्यात कैसे बढ़ाएगा? श्रीमन् हमारे यहां उत्तर प्रदेश में महीनेभर में बमुश्किल सौ घंटे बिजली किसान को मिलती है और उस पर भी किसान को सब्सिडी के मामले में तूफान खड़ा किया जाता है कि किसान को बिजली के मामले में सब्सिडी दी जा रही है। महोदय, वास्तविकता यह है कि उनसे पैसा पूरा वसूल किया जाता है, लेकिन उनको एक महीने में सौ घंटे भी बिजली नहीं मिलती है। उधर हमारे देश में वाटर लेवल निरंतर नीचे चला जा रहा है। महोदय, मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र करना चाहूंगा। हमारे कृषि मंत्री तो गंगा, जमुना के इलाके में रहते हैं जिसे दोआबा कहा जाता है, लेकिन वह हमारे इलाके में भी जाते रहते हैं। उन्होंने वाटर लेवल की स्थिति को देखा होगा। महोदय, स्थिति यह है कि जब 30-30, 40-40 फुट नीचे पंप रखा जाता है तब जाकर पानी ऊपर आता है और इस काम में कई बार बहुत से लोग मर भी जाते हैं। जब वे लोग कुएं में उतरते हैं और जब उसमें गैस बनती है तो उससे बहुत से लोग मर भी जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप किसानों से कहते हो कि निर्यात के लिए कम्पटीशन करो और जबकि आप उसकी सब्सिडी खत्म करते चले जा रहे हो। उपसभाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि फॉस्फोरस खेती के लिए कितना जरूरी है। उस पर सब्सिडी बिल्कुल खत्म कर दी गयी है। हालांकि यूरिया पर थोड़ी-बहुत सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन कितनी दे रहे हैं, आप उसकी कल्पना कीजिए। श्रीमन्, मैं आपकी मार्फत सरकार को बताना चाहता हूं कि जो सब्सिडी का शोर मचाते हैं, उसके संबंध में क्या स्थिति है? यूरोपीय यूनियन के जो 30 देश हैं, वह अपने यहां एक हैक्टेयर जमीन पर 1061 डॉलर की सब्सिडी देते हैं, जापान में एक हैक्टेयर पर 6,915.6 डॉलर की सब्सिडी दी जाती है, न्यूजीलैंड में 317.1 डॉलर की सब्सिडी दी जाती है, अमरीका में 184.8 डॉलर की सब्सिडी दी जाती है और हमारे यहां भारत में 17.8 डालर सब्सिडी दी जाती है।

श्रीमन्, आपने खुला मार्केट कर दिया, उसका तो हम स्वागत करते हैं कि हर किसान के लिए खुला मार्केट हो, लेकिन बिना प्रदेश की सरकारों के कानून को ब ‌.वाए हुए आपने ऐसा किया। आप जानते हैं कि कैसे-कैसे मंडी परिषद के कानून हैं, कैसे-कैसे हर प्रदेश के अपने अपने कानून हैं। आपने खुला मार्केट कर दिया है, ठीक है, बढ़िया है और हम उसका स्वागत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो प्रदेश के कानून हैं उनके बदलाव के लिए आपने अभी तक कोई कोशिश नहीं की। हम भी चाहते हैं कि आपने जो खुला मार्केट की कोशिश की है या घोषणा की है उस पर अमल हो और किसान को कुछ फायदा हो। जहां तक निर्यात की बात है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व होते हुए भी और विकसित

देशों द्वारा इतनी सब्सिडी किसानों को दिए जाते रहने पर भी हमारे काश्तकार को बिजली, पानी, बीज, खाद की पूर्ति न होने पर भी किस मुंह से यह सरकार कहती है कि हे भारत के काश्तकारों, तुम दुनिया के देशों से कंपटीशन करो। कैसे कर लेंगे कंपटीशन? किस निर्यात से वे अपनी हैसियत बढ़ा लेंगे? यह स्थिति सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिर, किस प्रकार से वह इस बात को करना चाहते हैं।

[उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) पीठासीन हुए।]

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारी पैदावार घटती चली जा रही है। हमारे अनाज में, हमारी पैदावार में 80 के दशक मे प्रतिवर्ष 3.7 प्रतिशत की वृद्धि हो रही थी। आज क्या स्थिति है? जबसे उदारीकरण की नीति चली है, 1.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है। आपने तीन साल पहले कृषि नीति बनाई और उस कृषि नीति में घोषणा की कि 4.0 प्रतिशत की प्रतिवर्ष बढ़ोतरी होनी चाहिए। आपकी आबादी 1.9 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रही है और आपका अनाज 1.7 प्रतिशत के हिसाब से पैदा हो रहा है। आप इस भ्रम में मत रहिए कि आपके देश में अनाज की बहुलता है। हमारे देश में बहुत-से लोग भूखों मरते हैं। हमारे देश में 20 प्रतिशत लोग कुपोषण के शिकार हैं। यह कोई मेरा रिकार्ड नहीं है, सरकारी रिकार्ड है कि हमारे यहां 20 प्रतिशत लोग कुपोषण के शिकार हैं। इस देश में प्रतिव्यक्ति कितनी पैदावार की उपलब्धता है? हमारे यहां पैदावार बराबर घटती चली जा रही है, जबकि हमारे यहा खेती के लिए बहुत ज्यादा जगह है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम काफी जमीन में खेती का काम करते हैं, फिर भी हम पूरा अनाज पैदा नहीं कर पा रहे हैं। आपने 4 प्रतिशत का ऐलान किया। सरकार इस बात को क्यों नहीं सोचती कि 90 के दशक से जो पैदावार में गिरावट आना शुरू हुई तो आज हम प्रतिवर्ष अनाज के मामले में सिर्फ 1.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर रहे हैं। सरकार इस बात को सोचने के लिए तैयार ही नहीं है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, चीन के कुल क्षेत्रफल में उसके 10 प्रतिशत जमीन ही पर खेती का काम होता है, जापान में 12 प्रतिशत पर होता है, अमरीका में 21 प्रतिशत पर होता है और भारत में 57 प्रतिशत पर होता है। इतने कम क्षेत्रफल में खेती के बावजूद चीन 123 करोड़ लोगों का पेट भर रहा है और साथ ही दूसरे देशों को भी अनाज भेज रहा है और हम 1450 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में खेती करने के बावजूद अपने लोगों का पेट नहीं भर पा रहे। यह स्थिति हमारे देश की हो रही है।

यह बात तो स्पष्ट है कि चाहे गेहूं की स्थिति जो भी हो, अगर इसे कुछ ठीक-ठाक भी मान लिया जाए तो भी चावल तो आपको निश्चित रूप से आयात करना पड़ेगा क्योंकि चावल में आपके यहां बराबर गिरावट आती चली जा रही है। खाद्य एवम् कृषि संगठन का कहना है, जैसा मैंने अभी निवेदन किया, *'कि 20 प्रतिशत से अधिक भारतीय कुपोषण के शिकार हैं, ऐसे में यह दावा करना कि अन्न की कमी नहीं है, भ्रामक है।'* 1998 में भारत में वार्षिक प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता केवल 176.7 किलोग्राम थी और तब चीन में 370 किलोग्राम थी, लेकिन चीन ने उसको भी कम माना और उसने अन्न आयात किया क्योंकि वह यह मानता है कि उसके यहां उसकी प्रतिव्यक्ति उपलब्धता ज्यादा होनी चाहिए। हम 176.7 पर भी संतुष्ट हैं, इस बात पर भी संतुष्ट हैं कि हमारे यहां 20 प्रतिशत लोग कुपोषण के शिकार हैं।

दूध के बारे में यह दावा किया जाता है कि 78 लाख टन दूध हमारे यहां पैदा हो रहा

है और यह दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा हमारे यहां पैदा हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा कहने के साथ-साथ आप जरा अपने देश की आबादी का भी ध्यान रखिए और देश के पशुधन को भी ध्यान में रखिए। दुनिया के कई देशों को मिलाकर जितना पशुधन बनेगा, हमारे देश में उतना पशुधन है। लेकिन इस सबके बावजूद हमारे हिस्से में दूध कितना आता है, हमें इसका भी हिसाब लगाना चाहिए।

जहां तक गुणवत्ता का सवाल है, मैं जानना चाहता हूं कि आप गुणवत्ता कैसे बढ़ाएंगे? आपके अनाज में अभी गुणवत्ता नहीं है और इसीलिए 2001 में कई देशों से आपका भेजा अनाज वापिस आ गया है। ईराक ने यह कहकर कि आपके यहां बहुत कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा है, अनाज वापिस कर दिया। दूसरे देशों ने भी वापिस कर दिया और कहा कि यह स्टेंडर्ड का नहीं है। गुणवत्ता में आप किस पर जोर दे रहे हैं? यूरिया पर। फास्फोरस आपके यहां नहीं है, पोटाश आपके यहां नहीं है, पोटाश की कमी आपके यहां बराबर हो रही है, लेकिन सरकार कोई ध्यान हीं नहीं देती। सरकार कहती है कि हमारे पास सरप्लस है और इसलिए हमारी जो यूनिटें उर्वरकों की हैं, उनको हम ठीक नहीं करेंगे। यह रसायन और उर्वरक मंत्री ने कहा कि हमारे पास उपलब्धता बहुत है, इसलिए हम उन यूनिटों को ठीक नहीं करेंगे, लेकिन यह भी हकीकत है कि 500 करोड़ रुपए आपने बाहर से खाद मंगाने के लिए बजट में रखे हैं। आप हर साल 1,000 करोड़ रुपए का पोटाश बाहर से मंगा रहे हैं। श्रीमन्, यह बात हकीकत है कि पोटाश का इस्तेमाल धान की फसल में बहुत ज्यादा होता है। अगर धान की फसल में पोटाश नहीं डाला जाए तो धान की फसल ठीक नहीं होती क्योंकि धान की फसल जमीन में से पोटाश को बहुत ज्यादा सोखती है। लेकिन हमारे यहां पोटाश का नाम ही नहीं, आप पोटाश बनाने के लिए तैयार ही नहीं हैं। हालांकि पोटाश समुद्र जल से बनता है और हमारे यहां समुद्र जल की कोई कमी नहीं है, लेकिन पोटाश की तरफ क्योंकि मंत्रालय का ध्यान ही नहीं है इसलिए पोटाश का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है और उत्पादन भी नहीं किया जा रहा है, हम उसे बाहर से, रूस से या दूसरे देशों से मंगा रहे हैं। हर साल 1,000 करोड़ रुपए का पोटाश आता है लेकिन उसके बावजूद भी पोटाश की कमी की वजह से हमारे अन्न में वह गुणवत्ता नहीं आ पा रही है जो आनी चाहिए। फास्फोरस पर आपने सारी की सारी सब्सिडी खत्म कर दी। यूरिया के ज्यादा इस्तेमाल से और कीटनाशकों के इस्तेमाल से आपकी स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल जमीन के अंदर के पानी को भी प्रदूषित कर रहा है। कीटनाशकों का ज्यादा इस्तेमाल आपके अन्न की क्वालिटी को खराब कर रहा है, रोग फैला रहा है और कीटनाशकों के बारे में कोई बताने वाला तो है नहीं, किसी किसान को कोई बताने वाला नहीं है। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूं। महोदय, मेरे पास भी एक छोटा सा आम का बाग है। इस साल मैंने दो-दो बार स्प्रे कराया, कृषि विभाग वालों की तरफ से जो दुकान चलती है, उनके कहने पर और जिस हिसाब से उन्होंने बताया, मैंने दो बार स्प्रे कराया। तीसरी बार नौबत यह आ गई कि हापर जो होता है, उसने पूरे पत्तों को भी गीला कर दिया और पूरा मौल और जो आम लगा था, उसको भी उसने खाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने एक और दवा दी। हमने सोचा कि जब ये बता रहे हैं तो ठीक ही होगी, हमने उसका भी इस्तेमाल किया। उसने, खैर, हापर तो दबा दिया, लेकिन जो आम लगे थे, वे भी गिरा दिए।

इसके लिए आपके यहां कोई इंतजाम नहीं है। हमारे देश में 34 कृषि विश्वविद्यालय हैं और एक सेंट्रल विश्वविद्यालय है। करीब 17,000 लड़के हर साल इन विश्वविद्यालयों में ऐडमिशन

लेते हैं। इस तरह करीब 14000-15000 तो निकलते ही होंगे। क्या आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं? आप उनका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर उनका इस्तेमाल किया जाए तो हमारे किसानों को कीटनाशकों के बारे में पता चलेगा, हमारे किसानों को पता चलेगा कि कितना यूरिया डालना है, कितना पोटाश डालना है, हमारे किसानों को पता चलेगा कि जमीन को कितना फास्फोरस चाहिए। लेकिन आपके यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो 17,000 लड़के हर साल बी.एस.सी., एम.एस.सी. या डॉक्टरेट में ऐडमिशन लेते हैं, इनमें से कुछ फेल भी होते होंगे। इसलिए मैंने कहा कि 14000-15000 लड़के तो हर साल निकलते ही हैं। लेकिन आप इनका कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृषि क्लिनिक खोलिए। अगर आप हर ब्लॉक में कृषि क्लिनिक खोल दें और इन ग्रेजुएट्स का वहां कुछ उपयोग कर सकें तो हो सकता है कि हमारी फसल की गुणवत्ता में सुधार हो और हो सकता है कि आप अपने अन्न को दूसरे देशों में भेजने के लायक बना सकें। आज जो स्थिति है, उसमें यह संभव नहीं है कि आप इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वर्चस्व के चलते और यूरोपियन देशों, अमेरिकन देशों और अन्य देशों के किसानों को दी जा रही सब्सिडी के चलते अपने अन्न का निर्यात कर सकें।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सब्सिडी के बारे में आप जरूर सोचिए। कहां तो विदेशों में 1,061 डॉलर प्रति हैक्टेयर सब्सिडी दी जा रही है और कहां भारत में मात्र 17 डॉलर प्रति हैक्टेयर सब्सिडी दी जा रही है। इसलिए उनके भावों में और हमारे भावों में बहुत अंतर रहेगा। आप इस अंतर को समझने की कोशिश कीजिए, तभी आप इस मामले में कुछ कर पाएंगे। वरना बिना बिजली के, बिना पानी के, बिना खाद के, बिना सब्सिडी के, बिना इस बात को सोचे हुए कि दुनिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कितना वर्चस्व होता जा रहा है, इस देश की तरक्की नहीं हो सकती।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में कई प्रदेश ऐसे हैं जहां भूमि सुधार नहीं हुए हैं। आपको इसके लिए पहल करनी पड़ेगी। यह बात सही है कि हमारे देश में एक हैक्टेयर से कम जोतों की संख्या 62 प्रतिशत है, एक हैक्टेयर से चार हैक्टेयर वाली जोतों की संख्या 18 प्रतिशत है और 4 हैक्टेयर से 10 हैक्टेयर वाली जोतों की संख्या 16 प्रतिशत है और इससे बड़ी जोतों की संख्या और भी कम है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि इसके कारण हमारी पैदावार कम होगी और हमारी उपज की गुणवत्ता नहीं बदलेगी क्योंकि दुनिया के सामने दोनों ही तरह के अनुभव मौजूद हैं। रूस का अनुभव हमारे सामने है, जहां बड़े-बड़े फॉर्म बनाकर खेती की गई। दूसरी ओर जापान का भी अनुभव हमारे सामने है, जहां बहुत छोटी-छोटी जोतों पर खेती की गई। हम अपने देश में भी देखते हैं कि जहां भूमि सुधार नहीं हुए हैं या जहां गलत तरीके से दूसरों के नाम से भूमि खरीदी गई है, कुत्तों के नाम से, बिल्लियों के नाम से जहां भूमि खरीदी गई है, वहां वे लोग कितनी पैदावार कर रहे हैं और दूसरी ओर हमारे छोटे किसान कितनी पैदावार कर रहे हैं। ऐसी स्थितियां भी हैं कि बड़ी-बड़ी जोत वाले आराम से एक ही फसल करके बैठे रहते हैं और दूसरी ओर जो छोटी जोत वाले हैं, वे तीन-चार फसलें उगाते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : अब आप 2-3 मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री रमा शंकर कौशिक : उपसभाध्यक्ष महोदय, कीटनाशकों के गलत इस्तेमाल के कारण हमारे यहां प्रतिवर्ष लगभग 20 प्रतिशत फसल यानी 50 करोड़ रुपए का नुकसान होता

है। इसका कारण केवल यही है कि आपके पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे काश्तकारों को इन सारी बातों और नए-नए अनुसंधानों की जानकारी मिल सके।

उसको आप सुलभ कराइये, तभी आपके यहां पर स्थिति कुछ ठीक हो सकती है। सुधारों के मामले में मैंने जैसा निवेदन किया कि आपको पहल करके जहां-जहां पर भूमि सुधार नहीं हुये हैं, वहां पर भूमि सुधार आप करवाइये। यह बात सही है कि प्रदेश की सरकारें भी कृषि के मामले में पूरा दखल रखती हैं। अगर आप सारी बातें लेकर के चलेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको इसमें कोई अड़चन नहीं आयेगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही खत्म करूंगा। मंत्री जी आप कह रहे हैं कि हमारे देश में दो क्रांति हो गई हैं। एक हरित क्रांति हो गई है उसके बारे में मैंने आपको बताया है कि हरित क्रांति में कितनी उपलब्धता हमारे यहां प्रतिव्यक्ति की हो रही है, हमें प्रतिव्यक्ति कितना दूध मिलता है। यह बात तो हो गई। अब आप कहते हैं कि हम दलहन में और तिलहन में क्रांति लायेंगे। आप कैसे क्रांति लायेंगे, कोई आपने योजना बनाई है कि तिलहन की पैदावार कैसे बढ़ेगी। आपके यहां पर 60 प्रतिशत खाने के तेल की कमी रहती है, 60 प्रतिशत आप आयात करते हैं। आप इसको कैसे बढ़ायेंगे, क्या इसकी कोई योजना आपके पास में है? आपने कुछ ऐसे संगठन बना रखे थे, उनमें से कुछ आज भी हैं, जिनके ज़रिए से कुछ तिलहन की तरक्की के काम होते थे। उसमें भी आपने इस बजट के ज़रिए से पैसा कम कर दिया है। जब कि दावा यह है कि हम तिलहन के उत्पादन को बढ़ायेंगे। तिलहन के उत्पादन के लिए 2001-2002 में 84.7 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : कौशिक जी, अब आप खत्म कीजिए।

श्री रमा शंकर कौशिक : उपसभाध्यक्ष जी, मैं केवल तीन-चार मिनट का समय और लूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : आप दो मिनट में खत्म कर दीजिए।

श्री रमा शंकर कौशिक : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में खत्म करने की कोशिश करूंगा। वर्ष 2002-2003 में 44.52 करोड़ कर दिया गया। यानी 40 करोड़ रुपया कम कर दिया। यह तिलहन को बढ़ाने का दावा है। राष्ट्रीय तिलहन और प्राकृतिक विकास बोर्ड को पांच करोड़ रुपये 2001-2002 में दिए थे, उसमें 1.25 करोड़ रुपये कम कर दिए गए हैं। पॉम आयल विकास कार्यों के लिए 8.25 करोड़ रुपये से घटाकर 4.15 कर दिया गया, आधा कर दिया गया। और जैसा मैंने निवेदन किया कि विदेश से रासायनिक खाद मंगाने के लिए आपने पांच सौ करोड़ रुपये रख दिए। मैं समझता हूं कि अगर आपको तिलहन का उत्पादन बढ़ाना है तो तिलहन के उत्पादन के लिए आपको विशेष उपाय करने होंगे। उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें कीड़ा भी बहुत लगता है, सरसों में कीड़ा लगता है, अन्य चीजों में लगता है, वैसे हमारे देश में हर चीज़ पैदा होती है - मूंगफली पैदा होती है, सरसों पीली होती है, सरसों काली होती है, लाहा होता है, लाई होती है, ये सारी चीजें हमारे देश में पैदा होती हैं। लेकिन अगर उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था नहीं होगी, सुरक्षा की व्यवस्था तभी हो सकती है जब अनुसंधान के मामले में हमारा देश तरक्की करेगा और उस अनुसंधान का फायदा सभी किसानों तक पहुंचे, इस मैकेनिज्म को आप तैयार करेंगे, तभी आपका यह सब काम हो सकता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि हमारे देश में छोटी-छोटी जोतें भी हैं। लेकिन ऐसा भी है कि हमारे यहां 43 करोड़ एकड़ जमीन बंजर है। इसमें से 16 करोड़ एकड़ बंजर जमीन को बहुत आसानी से उपजाऊ बनाया जा सकता है। जब उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, तो भूमि सेना के गठन का फैसला लिया गया था। भूमि सेना के गठन के ज़रिए से उस जमीन को कुछ सालों तक सरकार की सहायता से ठीक करने की बात थी, और उसके बाद वह उन्हीं लोगों को दे देने की बात थी। उस पर प्रयोग हुआ, काम भी हुआ और वह जमीन अलाट भी हुई। मैं कृषि मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि वह इस पर विचार करें। भूमि सेना का गठन करें, ताकि हमारे यहां जो बंजर जमीन पड़ी हुई है, हालांकि अब वह बहुत ज्यादा नहीं रह गई है, लेकिन जितनी भी है, उस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए भूमि सेना का गठन करके, उसके ज़रिए से और सरकार के सहयोग से उस जमीन को ठीक कराकर, उन्हीं लोगों को, जिन लोगों का उसमें योगदान रहा है, उनको अलॉट कर दी जाये तो कुछ स्थिति में सुधार हो सकता है। यह मेरा निवेदन है।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : अब आप समाप्त करिए।

श्री रमा शंकर कौशिक : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा सार्वजनिक निवेश भी कम होता चला जा रहा है। 1980-81 में यह 1,796 करोड़ रुपया था, 1991-97 के बीच में यह 1,138 करोड़ था यानी 16.35 प्रतिशत और 1998 में 15.7 प्रतिशत था। कुल अग्रिमों का 18 प्रतिशत जो सार्वजनिक क्षेत्र से होना चाहिए वह भी घटता चला जा रहा है। अगर सार्वजनिक क्षेत्र का भी उपयोग नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? इसके अतिरिक्त कृषि मंत्रालय अपना पूरा पैसा खर्च नहीं करता है। 1997-98 में केवल 83 प्रतिशत पैसा उन्होंने खर्च किया। 1998-99 में 68 प्रतिशत खर्च किया और 1999-2000 में भी इसका उपयोग नहीं किया, यह स्थिति है। श्रीमन्, 27 प्रोनिर्धारित योजनाएं केन्द्र सरकार की चलती हैं, उसका भी जो पैसा है, वह प्रदेशों में खर्च नहीं होता है। यह भी इस सरकार को देखना चाहिए कि जो आपके द्वारा प्रोनिर्धारित योजनाए हैं, उनका पूरी तरह से इस्तेमाल प्रदेशों की सरकारों के जरिए होना चाहिए था। श्रीमन्, अनुसंधान के ऊपर हम अपने जी.डी.पी. का, सकल घरेलू उत्पाद का केवल प्वाइंट 3 प्रतिशत खर्च करते हैं, यह जब तक 4-5 प्रतिशत नहीं होगा, कृषि क्षेत्र के अनुसंधान पूरे नहीं होंगे। प्वाइंट तीन प्रतिशत को छोड़िए और इसे 4-5 प्रतिशत कीजिए। दुनिया के दूसरे देश जी.डी.पी. का बहुत प्रतिशत अनुसंधान पर खर्च करते हैं। इस स्थिति में मेरा निवेदन है कि अनुसंधान वाले मामले को आप बढ़ाइए। इसके अतिरिक्त जो डेयरी के संबंध में जो 300 करोड़ आपने रखा है, वह भी कम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। यद्यपि बहुत सी ऐसी चीजें थी जिनको मैं आपके समक्ष रखना चाहता था किन्तु चूंकि समय कम है इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : जो आपकी पार्टी के हिसाब से समय था, आप उससे ज्यादा समय ले चुके हैं। इससे पहले कि दूसरे मैंबर बोलना शुरू करें, मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि चूंकि कौशिक जी शुरुआत कर रहे थे इसलिए उनकी पार्टी का जो टाइम है, उससे काफी गुणा ज्यादा समय दिया गया है। लेकिन जहां तक चर्चा का सवाल है, जिसका जो टाइम है, उस हिसाब से ही उसे बुलाया जाएगा और उसी हिसाब से समय निर्धारित किया जाएगा।

DR. A.R. KIDWAI (NCT of Delhi): Mr. Vice-Chairman, Sir. This is a very important subject, and I think, we need much more time for discussion, but, anyway, I thank you for the opportunity provided to me. As it has been stated, since 70% of the people in our country are dependent on agriculture, agriculture is a very important part of our economy. Even our industries are dependent on agriculture, for they provide the raw materials to the agro-based industries to flourish and develop. Therefore, if we have to advance and develop, if we have to get rid of poverty, we must first concentrate on agricultural development. Once we have achieved success in this sector, certainly, we will achieve success in other areas also on which our growth is dependent. Last year, the average growth rate was 5.4%, but this year, though the industrial growth rate went down to 3.3%, the agricultural growth rate was 5.7%. Thus, agriculture continues to sustain India's development, in spite of the industrial recession, all over the world. If we had properly developed agriculture, concentrated on its development and the well-being of the farmers by increasing their purchasing power, then, India being the second largest market, would not have been affected by the worldwide recession. But we have made the farmers poor. We have been exploiting them. They have no purchasing power. Therefore, there is no use of India being the second largest market. We were expecting that with the liberalisation, industries will come to India, but they are not coming, because the people of this country have no purchasing power. Therefore, there is a need for a revision of our Agriculture Policy. In his Budget speech, the Finance Minister has pointed out that this year is the second phase of the development activities, and that they will focus on agriculture and infrastructure development. But the fact is, instead of development, -- providing grants and funds, is only a lip-service -- the funding and support for agriculture is going down. In the last three years, the support for agriculture has gone down from 1.8 per cent to 1.5 per cent. There has been a shortfall in the utilisation of the 9th Plan outlay. The 9th Plan outlay was Rs.9228 crores, which, actually, was utilised to the extent of only Rs. 7813 crores, which, means, only 84 per cent of the plan allocation was utilised. This increase in the agricultural production which we had last year and which has sustained India's economy was like this. About 84 million tonnes of milk, 180 million tonnes of fruits and vegetables, and 212 million tonnes of foodgrains were produced. It is entirely due to the hard work and labour of the farmer, which he has done to survive, which he has done

for his livelihood, in spite of low productivity. Sir, the low productivity is because of the lack of water, lack of electricity, lack of telecommunication facilities, lack of inputs, good quality seeds, fertilizers, etc. So, the credit goes entirely to the hard work of the farmers. If these infrastructure facilities and inputs are provided, the farmers could do much better and produce much more to enrich the country. But whatever is produced is being wasted because of the PDS policy. It is one of the ways by which we are wasting our excess production. We are not able to export. We have not surveyed the world market requirements. India produces many varieties of wheat, many varieties of rice, which are in demand the world over. Instead of storing foodgrains in godowns and allowing it to rot, if there were an export policy, we could have earned much more. The farmer is being exploited from the very beginning. This is still continuing. That is why the farmer is poor. First of all, the minimum support price should be there. According to the economic criteria, while fixing the minimum support price, we must take into, consideration the profit element, which is not provided. We must also take into consideration the increase in the cost of living. These two factors are not taken into consideration, as a result of which, the minimum support price is actually less than the cost of production. This is how the farmer is cheated. Then, the policy of marketing through *mandis* is also faulty. Sir, these *mandis* represent cartels, where the farmer is forced to sell at the minimum price. He cannot sell outside the *mandis*. He is fined, if he does not sell at the *mandis,* and there he has to sell at less than the minimum price, distress price. If, at the *mandi,* the cartel does not buy his produce, he sells it at any price which is available to him. So, this is how the farmers are suffering. But the worst treatment which the farmer is getting is from the banks. To provide cheap agricultural credit to farmers, the NABARD was established. It was supposed to give loan to the people who are living below the poverty line, at 5 per cent, and to the people who are engaged in poultry and dairy business, at 7 per cent, subject to the maximum of 9.5 per cent. But, instead of directly financing the farmers or through their cooperatives, NABARD is financing through commercial banks, which are giving loans to farmers at the same rate at which they give loan to the industries. The result is that, it is the banks which are benefiting out of it and not the farmers. While the recovery of agricultural loans is 80 to 90 per cent, the recovery of industrial and business loans is below 50 per cent. Therefore, the PLR for agriculture should be much lower. If you take deposits into account, about 40 per cent of the deposits in commercial banks come from the agriculture sector,

but the investment in agriculture is only 12 per cent. That means, 28 per cent of the earnings of the farmers are diverted to other areas. Therefore, agriculture credit through banks is a total exploitation of the farmers. It also needs attention.

While industries are protected by high tariffs, agriculture is not protected. Agriculturists are also facing the pressure of the WTO. While we have to liberalise, we cannot...

THE VICE-CHAIRMAN (Shri Nilotpal Basu): Dr. Kidwai, I must inform you that the Congress Party has 44 minutes. There are six speakers. You have already spoken for ten minutes.

DR. A.R. KIDWAI: Sir, I have got only two more points to make.

In the Standing Committee on Agriculture, we found that functioning of some of the Departments of Agriculture is not at all satisfactory. The Ninth Plan grants in the case of the Veterinary Department have not been utilised. Their utilisation is less than 29 per cent. There were positive recommendations for controlling of diseases in animals and on maintaining their health. We know about the mad cow, foot and mouth diseases that spread in UK. If these diseases spread here, our entire animal population would be wiped out and our prosperity in milk production would go down. The working of the Department of Animal Husbandry and Veterinary Sciences has to be reviewed.

Similarly, our hatcheries for providing one-day chicks to the farmers have been closed. They have also their plan to help indigent people with goatery and piggery. All these programmes have not functioned properly.

Agricultural marketing is another area which has utilised only 30 per cent of the Ninth Plan grants. It has failed to organise marketing of fruits and vegetables and other commodities, in spite of the fact that we have an excellent example of dairy marketing. These two departments require total reorientation and working. Unless the marketing activities are increased, how can farmers get their due? How can we protect our animals without the Animal Protection Department? There is one more aspect. This country has the richest source of fisheries and acquatic products, with such a large coastline, with the Sundarbans producing tiger-prawns, but we are producing less than many other countries. Other countries are poaching in our waters. There is a need for proper survey on fishing. There is a need for having a board for fisheries development so that we can properly utilise our resources. This can be a single largest item for exports.

Now, I would like to mention my last point. Today it has been said that India has the greatest scope in the knowledge-based sciences. It has made a mark in the field of information technology. It has emerged as one of the leaders in the field of software development. But India has a much greater scope in the development of bio-technology because of the variety, the diversity, of plant products, the diversity of life here. While we have the products of tropical condition, the temperate climate, the sub-tropical condition, such variety of plant products is not available anywhere. And, if America, if Europe, have to do research in these areas, they have to have our products and our genetic material. This is an area where India can produce new genetic material, new varieties of plants and high-yielding varieties, which we can sell to the world. But this area requires a huge investment. Our investment on research is very low. The Standing Committee on Agriculture had recommended a minimum of one per cent. But it is still of the order of 0.23 per cent. With this kind of investment, how can we make any advancement and utilise our natural resources, the talents of our young men and women who can contribute to the modern bio-technology field and produce new varieties of plants, vegetables, fruits and animal products which we can sell outside? This is a great challenge, which should be given concentration. I think, therefore, the Agriculture Ministry should reconsider, restructure, its departments and re-organise them so that they can play a useful role in the advancement of our country and in removing poverty from our country. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): There is an announcement to make. There will be a statement by the Railway Minister, Shri Nitish Kumar, on the accident of 2402 DN New Delhi-Patna Shramjeevi Express between Kheta Sarai and Mehrawan Stations on Faizabad-Zafrabad Section of Lucknow Division on Northern Railway on 12-5-2002, before the House rises.

Now, Prof. R.B.S. Varma. Not present. Shri Devi Prasad Singh. Not present. Shri Shyam Lal.

श्री श्याम लाल (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, कृषि के संदर्भ में चर्चा करने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं।

मान्यवर, हमारे देश में एक बड़ी पुरानी कहावत है - "सबै भूमि गोपाल की", यानी सारी धरती जो है वह भगवान की मानी गयी है और जो इस धरती पर रहने वाले हैं वे सब लोग इसके मालिक हैं। इन शब्दों को यदि हम देखते हैं तो निश्चित तौर पर हम यह कह सकते हैं कि

इस धरती पर जो लोग हैं वे यदि इसके मालिक हैं तो उत्पादन करने वाले और उस उत्पादन पर जिंदा रहने वाले सभी लोग इसके बराबर के हकदार हैं।

आज जो बात कही जाती है कि कृषि के ऊपर 75 फीसदी लोग आधारित हैं, मेरी समझ से ऐसा नहीं है बल्कि 75 फीसदी लोग तो उत्पादन करते हैं, जो पूरे देशवासियों को अन्न देते हैं, कपड़ा देते हैं और रहने के लिए व्यवस्था करते हैं। कृषि के ऊपर आधारित तो सभी लोग हैं, न केवल मनुष्य बल्कि मनुष्यों के अलावा जो जीव, जन्तु हैं, या जैसे हम गाय का नाम लेते हैं, भैंस का नाम लेते हैं, दूध देने वाले जानवरों का नाम लेते हैं, वे भी अन्न के अलावा गेहूं का भूसा खाते हैं तो ये भी अन्न से संबंधित या कृषि से संबंधित हैं और इनसे हम दूध पाते हैं तो यह भी कृषि से ही संबंधित है। अभी हमारे भाई साहब मछली के संबंध में बोल रहे थे। वह भी इसी से संबंधित है। इसी धरती से, इसी उत्पादन से संबंधित है।

दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने भी इसी बात को कहा था कि किसी देश को आत्मनिर्भर होना है, किसी देश की आजादी को सुरक्षित रखना है तो उस देश के लोगों को अपनी धरती के उत्पादन पर आधारित रहना चाहिए, आश्रित रहना चाहिए। धरती के उत्पादन से हमारा संदर्भ यह है कि धरती के ऊपर जो उत्पादन होता और धरती के नीचे जो हमारे खनिज पदार्थ हैं, अर्थात् जो भी संपति हमें मिलती है चाहे वह आसमान से मिलती है या वह जल के रूप में मिलती है, वही हमारा उत्पादन है।*इस संदर्भ में मैंने अपनी एक पुस्तक लिखी है : जीवन, श्रम और भगवान, उसमें हमने कोट किया है कि लाईफ=नेचर+लेबरxलेबरर्ज़=प्रोडक्शन, तो नेचर में सभी चीज़ें समाहित हैं। इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं गन्ने के संदर्भ में कहना चाहता हूं। रफी अहमद किदवई ने हमारे उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के बारे में बोला था कि जितने रुपये मन चीनी, उतने आने मन गन्ना भी होना चाहिए और चौधरी चरण सिंह जी, जिन्हें हम किसान नेता के रूप में मानते हैं, वह इस देश के प्रधान मंत्री भी रहे हैं, जहां तक हमें याद है उन्होंने कहा था कि देश की समृद्धि का प्रतीक यहां का किसान है और यहां के किसानों की क्रय-शक्ति अगर बढ़ती है तो उससे यहां के किसानों की समृद्धि होती है और निश्चित रूप से किसानों की क्रय शक्ति उसी समय बढ़ेगी जब उनके पास धन होगा। ये सारी बातें हैं जो कृषि की पृष्ठभूमि में आती हैं।

मान्यवर, अब मैं कुछ और बातें इस संबंध में आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सन् 1947 की बात हमको याद करनी है, जब से हमें ख्याल आता है। 1947 में जब हमारे देश का विभाजन हुआ उस समय देश की जनसंख्या 32 करोड़ थी। हमें उस समय ख्याल आता है कि हमारे गांव में गेहूं का आटा अगर किसी के घर में होता तो वह बहुत बड़ा आदमी माना जाता था और अगर चावल किसी के घर में होता था तो मालूम पड़ता था कि वह उस गांव का सब से बड़ा आदमी है। चावल रिश्तेदारों के लिए रखा जाता था तथा गेहूं का आटा देवी-देवताओं की पूजा करने के लिए रखा जाता था। वह एक समय था। उस समय कपड़े की स्थिति का भी हमको थोड़ा-थोड़ा ख्याल आता है। कपड़ा तो लोगों के पहनने के लिए होता है, लेकिन उस समय यदि किसी के घर में मृत्यु हो जाती थी तो कफन के लिए कपड़े का लाइसेंस मिलता था, तो ऐसे ढंग से कपड़े मिलते थे। ऐसा समय था जिसका हमें थोड़ा-थोड़ा ख्याल आता है। एक किस्सा तो कपड़े के बारे में लोग बताते हैं, जहां तक हम सुनते हैं कि 15 अगस्त, 1947 से पहले ब्रिटिश शासनकाल की जो बात थी, यूरोप में जाकर किसी ने वहां के राजा से कहा कि हिन्दुस्तान में तो उतने कफन का लाइसेंस ले लिया गया है जितनी कि जनसंख्या भी नहीं है, यानी हिन्दुस्तान के

4.00 P.M.

पूरे लोग खत्म हो गए। यूरोप में यह सुनकर राजा को बड़ी चिंता हुई कि अब किसके ऊपर शासन किया जाएगा। तब हमारे हिन्दुस्तान का कोई व्यक्ति वहां पर था उसने कहा कि साहब, ऐसी बात नहीं है, वहां पर तो रोजाना लोग मरते हैं और रोज़ाना पैदा भी होते हैं। यह तो भगवान की करामात है। मतलब यह है कि एक स्थिति यह थी कि हम कपड़े के लिए मोहताज थे, अन्न के लिए मोहताज थे और रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज धीरे-धीरे हम आगे बढ़े हैं। 32 करोड़ की जनसंख्या आज एक अरब पांच करोड़ के करीब हो गई है। आज हमारे पास गेहूं का भंडार है, चावल का भंडार है, सब्जी का भंडार है और दूध, घी पहले की अपेक्षा अधिक मिल रहा है, कपड़ों की स्थिति आप देख रहे हैं, जूतों की स्थिति भी आप देख रहे हैं। पहले तो हम लोगों के समय में जब हम लोग इंटर, बीए पास करते थे तो एक फटा हुआ चप्पल पहन कर जाते थे, लेकिन आज घर में बच्चे को कम से कम एक हजार रुपये का जूता चाहिए, कापी-किताब और कपड़ों की बात तो छोड़ दीजिए। मतलब यह है कि यह हमारी समृद्धि का प्रतीक है। कृषि के क्षेत्र में यदि हम देखें तो हमारे यहां उत्पादन में वृद्धि हुई है और इसको नकारा नहीं जा सकता है। यहां हमारे देश का जो कुल क्षेत्रफल है, मेरे ख्याल से वह 3 करोड़ 28 लाख 72 हजार 63 वर्ग किलोमीटर था, मगर इस क्षेत्रफल में 1962 की चीन की लड़ाई के कारण कमी आई है, लेकिन जनसंख्या हमारी बढ़ी है। हमारा कृषि का जो क्षेत्रफल है वह 17 करोड़ 18 लाख हेक्टेयर में जो खेती होती थी। उसमें सिंचित क्षेत्र 45 परसेंट है, लेकिन हमारी जनसंख्या का घनत्व दिन प्रति दिन बढ़ता गया है। वर्ष 1901 में यह 77 प्रति वर्ग किलोमीटर था जो कि 2001 में 324 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। दूसरी ओर भूमि कम होती जा रही है, फिर भी हम भुखमरी का शिकार नहीं हो रहे हैं। इस का मतलब यह है कि कृषि के क्षेत्र में हम ने उन्नति की है और हमारे उत्पादन में वृद्धि हुई है। मान्यवर, मैं कपड़े का हिसाब-किताब तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन हम सभी को मालूम है कि 1943 के बंगाल के अकाल में जहां 60 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, उसमें 20 लाख लोग भुखमरी से मरे थे।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : आपकी पार्टी का 36 मिनिट का टाइम है और 4 मेंबर बोलने वाले हैं।

श्री श्याम लाल : मान्यवर, हमारे दो साथी नहीं हैं, उनका समय भी मुझे मिल जाना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु): वह नहीं बोलेंगे?

श्री श्याम लाल : मान्यवर, 1944 में आए बिहार के अकाल को देखा जा सकता है, लेकिन हमारे देश की एक अलग स्थिति रही है। हम ने जो उत्पादन किया है, वह देश की जनता के लिए, सब के लिए अनाज को मुहैया कराने का प्रयास किया है जबकि दूसरे देश के लोग ऐसा नहीं करते रहे हैं। अमेरिका ने 1933 में 50 लाख सुअर मार डाले क्योंकि उसे अपनी कीमत को मेंटेन करना था, डेनमार्क ने भी हर सप्ताह 15 सौ सुअर मारकर फिंकवा दिए अपनी कीमत को मेंटेन करने के लिए, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। अर्जेंटिना ने लाखों भेड़ें मारकर फिकवा दी थी, अमेरिका में लाखों मन गेहूं जलवा दिया गया था, लेकिन यहां तो सरकार अनाज फ्री में बांटने के लिए भी तैयार है। हमारी केन्द्र की सरकार मोटे अन्न को दूसरे प्रदेशों के गरीबों में बांटने के लिए प्रयास कर रही है।

मान्यवर, हमारे साथियों ने बहुत सी बातें रखी हैं जिन में एक मुद्दा विदेशी निवेश का भी है। महोदय, आप जानते हैं कि विदेशी निवेश की बात आज की नहीं हैं। इस बारे में वर्ष 1991 में डा. मनमोहन सिंह जी ने एग्रीमेंट किया था। मेरे ख्याल से उन्होंने 13 नवम्बर, 1991 को डब्ल्यू.टी.ओ. के चैयरमेन को लिखकर आश्वासन दिया था जिस के माध्यम से ऐसी बहुत सी बाध्यताएं हैं जिन्हें हम को मानना ही है। वह 20 साल का एग्रीमेंट हम तोड़ नहीं सकते हैं जबकि अमेरिका केवल 7 साल के लिए प्रतिबंधित है। उपसभाध्यक्ष जी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो हमारे एग्रीमेंट हुए हैं, उसके अंतर्गत सब्सिडी में कटौती करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। कृषि के उपयोग में आने वाली वस्तुओं की सब्सिडी समाप्त करने का एग्रीमेंट पहले से किया गया है। खाद्य संबंधी सब्सिडी समाप्त की जाए, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना, आयात को उदार बनाना, सेवाओं का निजीकरण करना, बैंकिंग क्षेत्र का निजीकरण करना, यह हमारी सरकार का एग्रीमेंट नहीं है। इसी तरह से "गैट" समझौते के अंतर्गत सब्सिडियों में कटौती करना, कृषकों को दी जाने वाली घरेलू सहायता में कटौती की जाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली समाप्त की जाना, बहु-उद्देश्यीय कंपनियों से प्रतिबंध हटाना, आयात से प्रतिबंध हटाना, सेवाओं के क्षेत्र में बहु-राष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिबंध हटाना, बैंकिंग सेवाओं में विदेशी निवेश से प्रतिबंध हटाना, यह हमारा नहीं है। यह पहले का है। यह एग्रीमेंट माननीय डा0 मनमोहन सिंह जी के समय में किया गया था। डंकल प्रस्ताव के माध्यम से उससे हमारी बाध्यता है और उस का अनुपालन नहीं करना हमारे लिए संभव नहीं है। उपसभाध्यक्ष जी, हम ने तो भारत में बीज उपक्रम, राष्ट्रीय बीज निगम की व्यवस्था की है। स्टेट फार्मर्स एसोसिएशन के माध्यम से 13 राज्य बीज निगम बनाए गए हैं। हमारे यहां 19 बीज प्रमाणीकरण एजेन्सी चल रही हैं, 85 बीज टेस्टिंग प्रयोगशालाएं चल रही हैं, 20 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शोध संस्थान चल रहे हैं, 45 कृषि विश्वविद्यालय चल रहे हैं, जहां पर नए बीजों का ईजाद किया जाता है और 140 कंपनियां बीज व्यापार में लगी हुई हैं। हमारे देश में अनुसंधान परिषद 1935 प्रजातियों की फसलें तैयार कर चुकी है। इसके अलावा बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जैसे हमारे यहां से प्रतिरोधी फलियां, जैसे सेम की प्रजाति अफ्रीका में गई है। चावल और गेहूं का उत्पादन तो भारत वर्ष में पहले से ही है, जिसकी प्रजाति दूसरे देशों में भारत से गई है। अमरीका में, कैलिफोर्निया में हमारे खीरे का बीज गया है।

मान्यवर, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि प्रकृति ने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है। आप नैनीताल चले जाइए। वहां एक ऐसी पौध है, जो आपको लग जाए तो ऐसा मालूम होगा कि पूरे शरीर में जैसे जहर फैल गया हो, लेकिन उसी जगह पर एक दूसरी पौध भी है जिसे रगड़कर लगा दिया जाए तो मालूम होगा कि वह सारा जहर जो शरीर में घुसा हुआ था, निकल गया है। हमारे यहां प्रकृति की व्यवस्था अपने आप में संपूर्ण है।

मान्यवर, हमारी खेती देश के काफी हिस्सों में बारिश के पानी के ऊपर निर्भर करती है। इस समस्या का समाधान हमें देखना होगा। हमारे यहां मान्यता है कि सूखा और बाढ़ एक दूसरे के परिपूरक हैं और इसलिए गांव के पानी को गांव में रोकने की व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरी बात, हमारे देश में गोबर खाद का समापन हो रहा है। हमारे देश में गौ-संवर्धन का अपना महत्व रहा है। कहा जाता है कि "गौधन, गजधन, बाजधन और रत्नधन खान, जब आवै संतोषधन, सबधन धूल समान"। ये सब हमारे देश की संपदा रही हैं, जिसका आज ह्रास हुआ है। आज हम कहीं न कहीं पश्चिमी सभ्यता की तरफ दौड़ रहे हैं। इससे हमारे यहां बीमारी इतनी बढ़ रही हैं कि उसका इलाज हम दूसरे देशों में खोज रहे हैं। हमारे गांव में एक कहानी ऐसी है कि जब

गांव में कोई शादी ब्याह होता था तो लोग दूध लेकर एक दूसरे के यहां जाते थे। वह दूध मिट्टी के घड़े में ले जाया जाता था और उसके ऊपर जो ढक्कन होता था उस ढक्कन को गोबर से बांध देते थे। लोगों में मान्यता यह थी कि भूत प्रेत उस घड़े को नहीं लगेगा और दूध फटेगा नहीं। इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य यह था कि गाय, भैंस का गोबर जो उस पर लगा होता था वह बैक्टीरिया को खींच लेता था, इसलिए दूध नहीं फटता था। हमारा कहने का मतलब यह है कि गोबर में बैक्टीरिया ओब्जर्व करने की ताकत है, जो एंटी बायटिक है। हमारे यहां कहावत है कि जो गाय का गोबर अपने घर में लगाएगा उसके घर में चेचक कभी नहीं होगी। यह हमारे देश की संपदा है, जो भगवान ने हमें दी है। इसलिए हमें गौ-संवर्धन के लिए प्रयास करना चाहिए। आज गांवों में बैल दिखाई नहीं देते, बीमारियां फैलती हैं। गोबर को हमारे देश में गोबरधन कहा गया है। गोबरधन का मतलब है कि गोबर हमारे देश में, गांव में सबसे बड़ा धन है, जिसका ह्रास हुआ है। कृषि के परिप्रेक्ष्य में इसकी तरफ देशवासियों को आगे लाना होगा। अगर हम गांव की जो व्यवस्था है, उसकी तरफ ध्यान दें, गांव का पानी गांव में रोक दें, गांव का खाद गांव में बना दें तो यह भारत देश, जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, पुन: सोने की चिड़िया हो सकती है।

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI YADLAPATI VENKAT RAO (Andhra Pradesh): Sir, thank you very much for giving me this opportunity to participate in the discussion on the working of the Ministry of Agriculture.

Sir, India is predominantly an agriculture country and roughly two-thirds of the population depend on agriculture. I am happy that the Government announced the first ever National Policy on Agriculture last year, and it has also increased the credit flow in agriculture from Rs.64,000 crores last year to Rs.75,000 crores in the current year, that is, 2002-03. I am also happy that 207 lakhs of Kisan Cards have been issued and that the Government wants to extend that facility to cover all the eligible farmers. So far as funds to the agricultural sector are concerned, the Parliamentary Standing Committee on Agriculture and Cooperation recommended that the budgetary allocation for this crucial sector should not be cut. In its 30th Report, the Committee observed that, continuously, for five years altogether, less than 50% of the amount demanded has been allocated by the Planning Commission. The Department of Agriculture sought an outlay of Rs.18,253.81 crores for the Ninth Five-Year Plan, but was provided only Rs.7813.69 crores, which was only 43% of the demand. Again, during the Tenth Plan, against a demand of Rs.25,000 crores, this sector was given only Rs.13200 crores, which is 52.8 % of the demand. Against the projected demand of Rs.5164.41 crores for 2002-03, the Department has been given Rs.2167 crores, which is only 41.96% of the demand. With this trend in allocation, and with this meagre budgetary support, it is practically

not possible to double the agricultural production and achieve the slated targets in ten years. I, therefore, request the Government to increase the allocation for agriculture so that the Department can be made strictly responsible and accountable for achieving the projected targets.

The farming community of the entire nation is passing through a unique crisis of falling prices of their products. They are being penalised for the extra effort put in by them for producing more to feed the nation. The agreement with the World Trade Organisation was entered into in the year 1994 at a time when our country was not in a position to compete with the developed countries. The quantitative and qualitative restrictions imposed then were to be totally removed by the 1st of April, 2001. By this agreement, as many as 1429 items from other countries would be allowed to enter the Indian market, of which 300 items related to products from agriculture and allied fields like dairy, poultry and fisheries. This is going to be the beginning of the ruin and a nightmare for the Indian farmers, as they will not be able to compete in the international market due, to the heavy subsidy being provided to the farming sector in .the developed world. Successive Governments from 1994 onwards have failed to use the opportunities provided by the World Trade Organisation to prepare the country to face the competition.

The developed countries are in an advantageous position, with heavy subsidies, as high as 23% to 70% of the value of their produce, whereas, in our country it is only 2% of the value of the produce. So far as the import of agricultural produce is concerned, the same has to be checked, by increasing the import duties, which could be as high as 300% in some cases, as per the World Trade Organisation's terms and conditions. This is the only way to protect the farmers from this menace. In this connection, I would like to submit, Sir, that only 2.5% of the American population is dependent on agriculture; it is 6% in Japan; and 9% in the European countries, whereas in India, it is nearly 66%. Agriculture is a way of life here. It is also not possible to shift the majority of them from agriculture. The contribution of agriculture to GDP dipped from 50% to 24%. In the circumstances, to compete with the other developed countries, we have to prepare the Indian farmers to grow more at lesser cost, and they should be qualitatively competitive. Most important, the subsidies being given in other countries should be withdrawn immediately. Side by side, the small and marginal farmers, who form the bulk of the community, should be helped, by making them aware of new methods of irrigation, new

seeds, biotechnology, information technology, and credit and marketing.

Regarding assessment of the performance in agriculture, Sir, there are two ways of assessing the performance in the agricultural sector. One way is, comparing the average yield from our agriculture with that of the world average. The other is, comparing the *per capita* availability of cereals with that of the world. I have got figures pertaining to 1997. In 1997, the per-hectare yield of cereals was 2232 kgs., and *per capita* availability was 232.2 kg., against the world average of 2974 kgs. And 358.4 kgs., respectively. Almost the same situation continues now also. I always wonder why Indian agriculture remains backward when we are not short of natural resources. India is richly endowed by nature and blessed with the most favourable agro-climatic conditions. In the world, as a whole, the percentage of arable land to total land area is only 11%, whereas in India, it is 51%. With moderate climatic conditions in most parts of the country, we are able to raise two to three crops in a year, whereas, in many parts of the world they can raise only one crop per year. Here, the only reason, to my mind, is the neglect of the core sector, agriculture, which has been the backbone of our nation for all these years. Because of this neglect, we are lagging behind, compared to other nations.

Sir, in paragraph 13 of the National Agriculture Policy, it has been mentioned that special efforts will be made to increase the productivity and production of crops to meet the increasing demand for food due to the unabated demographic pressure. The National Agriculture Policy recognises that there is an unabated demographic pressure. In this connection, it is pertinent to mention that the farmers are now in a very deplorable plight, not able to dispose of their produce and not getting a remunerative price even to match the input cost. Unless Governments, both Central and State, come to their rescue, the nation will be witnessing the tragic suicide and death of many of the sons of the soil.

Sir, so far as Andhra Pradesh is concerned, our hon. Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu, has already taken certain measures for increasing production, with lesser cost, by implementing steps for technology transfer, providing high breed seeds, by keeping the soil in good condition, by water management, by providing adequate and timely credit, by advising the farming community to go in for organic manures and also by taking up integrated pest management.

Whenever there is a fall in the price of any produce, the Chief

Minister takes steps for market intervention operations and sees to it that the farmer gets, at least, the minimum support price. In Andhra Pradesh, to ensure timely credit and to avoid distress sales by the *ryots*, the *Raithu Bandh* Card Scheme has been implemented. Through Agriculture Market Committees, by way of loan, the farmer gets funds, and he need not pay interest for the first three months; and during the remaining period, he will be charged a nominal rate of interest.

As far as post-harvest technology and food processing is concerned, I request the Government of India to give more attention to it, in view of our potential for producing a large amount of perishable fruits and vegetables. In a small country like Brazil, only two per cent of their produce is being damaged, whereas in India, it is as high as 32 per cent.

Sir, another matter of great concern is that the Food Minister has been toying with the idea of transferring the procurement operations from the Government of India to the State Governments. The State Governments do not have the infrastructure to keep all the produce procured. Therefore, by creating more warehousing facilities, the Food Corporation of India should continue the procurement operations.

Sir, credit is an important input in agriculture. As Panditji said, "anything can wait, but not agriculture." It is inevitable that the farming community should have adequate and timely credit to grow their crops successfully. As far as institutional funding is concerned, though it has been fixed at 18 per cent, only 13.5 per cent has been actually made available to the farming community. I would like to know whether the financial institutions, particularly the nationalised banks, are doing justice to the farming community. The Government should take punitive action against the erring banks. The banks are not reaching the rural areas where the farmers are living. In villages, there is a thin spread of bank branches; whereas in urban areas, there is bunching of branches. Hence, these banks fail to extend the required credit assistance and support to the farming community. Sir, about 92% of farmers have to depend on other sources for mustering funds for their farming operations. All the banks put together are not meeting even one-third of the credit requirements of the farming community, and, therefore, they have, perforce, to approach the moneylenders, who are charging an exorbitant rate of interest. Consequently, many times, due to adverse conditions, when they are not able to pay back the accumulated loan, it leads this gullible lot to resort to suicide. The farming community is being praised as 'Annadata' by all, but

they turn their face, the other way, when the farmers are in distress. I speak from the bottom of my heart. I demand that the farming community should be given assistance, in all possible ways, to produce more, in order to feed the teeming millions of our population. We should not forget the passage from Goldsmith, 'bold peasantry, the country's pride, when once destroyed, can never be supplied.'

As far as paying remunerative price to the agriculturist is concerned, during the Green Revolution, the farmers were given the slogan, 'produce or perish.' During the Green Revolution, farmers were given a slogan, "Produce or perish." The farmers have increased their production to a great extent. Now the farmers are producing more and perishing as they are not getting any remunerative price for their produce. In these circumstances, the only panacea for all these ills is to provide remunerative prices to the farmers for their produce. With the present increased cost of cultivation, as a result of increase in the price of all inputs, the farmer is reeling under tremendous pressure for survival. He is not finding money for his son's education and his daughter's marriage, or, even to look after the health of his family. As a Member of the CAC&P rightly puts it, "A farmer is born in debt, lives in debt and dies in debt." The country will never prosper, unless serious thought is given to the issue of providing a remunerative price to the farmer for his produce.

Onions are sold in Rajasthan at throwaway price, for Rs.25 a bag of 40 Kgs. Similar is the fate of tobacco growers and coconut growers.

A word about the Commission for Agricultural Cost and Prices. The Commission is announcing the support price late in the season, after sowing. I request the Government to give necessary directions to announce prices much in advance of the season, so that the farmer will have a choice to go in for that produce, which is remunerative for him. I also request the Government to include two representatives of farmers who knows the villages and the problems of the farming community as members of the CACP and not those who have not seen villages and who don't know even bunds that exist in fields.

About crop insurance, I beg to submit that the premium that is being paid by small and marginal farmers is on the higher side. Another point which I want to raise in this august House is, in the event of loss of crop due to vagaries of nature, now the insurance people are taking Mandal as a unit instead of village, in assessing the damage compensation to be

given to the farming community. Here, I request that the Village Panchayat may be taken as a unit for assessing the damage.

In the end, I would like to reiterate my appeal to the Minister to allocate more funds.

Thank you.

SHRI Sk. KHABIR UDDIN AHMED (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I express my gratitude for giving me an opportunity to speak in this august House. Sir, this is my first major speech and I seek your cooperation.

Today, we are discussing on the working of the Ministry of Agriculture. Agriculture is the oldest sector in the world even today. Our country is mainly dependant on agriculture and agriculture in India occupies a pivotal position. Agricultural sector contributes about one-third of our National Gross Product and provides employment to nearly two-third of the workforce. It also provides raw materials for the industrial development and the foodgrains to the country. This indicates the importance of the sector in the Indian economy.

Sir, even after 55 years of Independence, the vested interests rule the roots in the rural economy, agriculture in particular. A substantial part of the produce was taken away by the parasitic class and the actual cultivator was left only with the subsistence income. The cultivators have neither the resources nor the incentive to invest in agriculture. But even today the situation has not changed.

Sir, the Statistics at Glance, 1999, of the Ministry of Agriculture, Government of India, admits the concentration of land in a few hands. Implementation of land reforms, throughout the country, will boost agriculture and industrial production by leaps and bounds. The surplus food will be an export item. It is panacea not only for economic ills, but also social evils. It will ease the social tension, health problem and the problem of illiteracy and population. Unfortunately, our Parliament has never discussed this issue seriously. Sir, the Eighth Plan says that the land is the single most important asset in the rural India. During the last fifty years or more, we have talked a lot about land reforms, but we have achieved only a little. The question of land reforms remains the core of any transformation that we visualise in agriculture and the countryside. However, the land ceiling laws are being modified to benefit only a small

section of the society. Big tracts of land, including wasteland are being given to big businessmen and multinational companies. There is a move to corporatise agriculture in a big way. This has reflected in the Centre's Agricultural Policy. Sir, marginal and small landholders do not have the so-called farms. Big and medium landholders are having big and medium farms. They even built big farmhouses in cities. But the poor agriculturists are the victims of starvation. Apart from generating market, which is essential even for developing the capital economy, land reforms empower the poor and the oppressed. The experience of West Bengal is there before all of us. Sir, West Bengal, which was once a deficit State, has become self-sufficient in food and the State's Gross Domestic Product stand at 5^{th} in the country. During the last several years, there has not been a single report of atrocity on the SC/STs in West Bengal, according to a report of the Ministry of Home Affairs. Sir, in reply to an Unstarred Question No. 3095 of December 18, 2000, the Government says that untouchability is non-existent in the State of West Bengal.

Sir, in the recent years,. there has been some problem in agrarian sector and it has been super-imposed on all earlier problems in India related to continuing land concentration and failure to implement land reforms. There is a new crisis of rural livelihood. This had been initiated, primarily, by neo-liberal economic reforms in the last decade which lead to public expenditure cuts, a credit squeeze and collapse of the employment growth in rural areas. This crisis has been intensified by full trade liberalisation.

Sir, the agricultural sector has done very badly under the World Bank dispensation. If we compare India, under structural adjustment since 1991, with the preceding ten years, we find that, Indian agriculture has performed the worst among the sectors in terms of growth. Whereas the growth rate was 3.13 per cent in the preceding years and it came down to 2.24 per cent during the reforms period.

The *per capita* food availability in January 2001 was even less than what it was in January, 1991. All this has been published in the Economic Survey. I do not want to go into the details of all that. There were several factors that favoured agriculture during this period. First, there has been good monsoon. One shudders to think what would have been the fate of the agriculture if the monsoon had failed during the period. Moreover, this period was characterised by high procurement prices. The prices were high enough to provide incentive to the farmers. Thirdly, the Government had been generous enough in funding the agricultural cooperatives. Fourthly,

the Government policies, in general, favoured high prices. Then, reviewing the import restrictions further helped the agriculture. Despite all this, the agriculture in India has flattened. Why?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): Mr. Ahmed, please conclude now.

SHRI SK. KHABIR UDDIN AHMED: Okay, Sir. I will just take a couple of minutes more. There is a deep crisis in the agrarian sector today. The removal of quantitative restrictions on the import of a number of agricultural products has hit both the rich and the poor. There has been cash in pinch of coconut, rubber, pepper, groundnut, tobacco, cotton, jute, paddy, tea, coffee, sugarcane, etc. Imports of agricultural products had gone up four-fold during 1995-2000. Sir, in view of the lack of cold storage facilities, power facilities, processing facilities, and expansion of the transport and communication system, most of the peasants are incurring heavy losses. The present system also forces the peasants to sell their crops at throwaway prices, right at the time of harvesting. The Government is also not making enough investments for neutralising the adverse effects of natural calamities, and is not taking calamity-resistant measures, such as building embankments, taking anti-erosion measures, planting trees, buildings *pucca* roads and improving the communication system, etc.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): I think, you should wind up now. Other issues, you can deal with on subsequent occasions.

SHRI SK. KHABIR UDDIN AHMED: Okay, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): Now, Shri S. Sivasubramanian. Mr. Sivasubramanian, before you start, I may tell you that the DMK has six minutes, and your party has given two names.

SHRI S. SIVASUBRAMANIAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am very glad to participate in the discussion. Right from the President of India to the small farmers talk about agriculture, which is the backbone of the Indian economy. But agriculture has received a raw deal, all along, in the Indian economy's policy formulation. The first generation of reforms concentrated on reforms in the industrial economy, and the reforms in agriculture were neglected. This approach must be changed in the Tenth Plan. As my colleague from Andhra Pradesh has said, the age-old slogan, "The Indian farmer is born in debt; lives in debt; dies with debt", is true even after the implementation of the Ninth Plan. The Union Budget, 2002, has failed to address the critical problems of agriculture. The Budget should have provided for a higher public investment, but reverse is the

trend in funding. India's new economic policy has been posing new challenges to the agricultural sector because of the growing population, dwindling natural resources, depleting underground water resources, and growing number of entrepreneurs.

This sector continues to remain vulnerable to the vagaries of monsoon. Today's agriculture is based on a high cost and energy intensive technology which needs high inputs in respect of quality seeds, chemical fertilizers, pesticides, irrigation and farm mechanisation.

There should be a proper development of agriculture-based industries. The fruit and vegetable processing facilities should be developed on the pattern of milk processing facilities. And priority should be given to the development of livestock.

There is a need to increase the income from commercial crops. Indian agriculture must be organised on a scientific basis through research in crop patterns. A balanced development of both agriculture and industry would help in removing socio-economic disparities.

Agricultural marketing should be given top priority in policy-making because in spite of the farmers whole-hearted labour, their returns are very meagre. It is sad that the Indian farmer gets low price for his produce. The Government should compensate it. The reason for our backwardness is that since independence, most Governments have been following different policies for agriculturists and non-agriculturists. They have been exploiting the farmers and protecting others. In fixing the prices of industrial goods, industrialists always add a margin of profit to the cost of production. But, it is not so in case of farm products. The price fixed is lower than the production cost. I request the Minister to form a separate policy-making body for farmers, on a non-political basis, both at the Central level and at the State level in order to safeguard the welfare of the farmers. There must be a strong political will to save the farmers from the clutches of evil hands. The Government has taken many steps to improve many commercial crops which earn huge foreign exchange and create employment opportunities. With a view to promoting such crops, Government have set up Boards like Tea Board, Coffee Board, Tobacco Board, Silk Board, etc. But, unfortunately, the Government has not yet set up a 'Cashew Board' which is one of the major foreign exchange earners. I request the Minister that a Cashew Board may be established immediately. Thank you.

डा. अबरार अहमद (राजस्थान) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपने कृषि जैसे महत्वपूर्ण

विषय पर मुझे बोलने की अनुमति दी है। अगर सही मायनों में देखें तो कृषि और कृषक इस देश की आत्मा हैं। आज भारत जैसे देश में, जिसकी एक अरब से भी ज्यादा आबादी है, इस आबादी का सत्तर प्रतिशत हिस्सा कृषि पर आधारित हो, जहां बेरोजगारी हो, भुखमरी हो, अशिक्षा हो, उस देश के लिए कृषि का बहुत महत्व है। अभी जब कौशिक जी बोल रहे थे तो उस समय आप बता रहे थे कि व्यापार, वाणिज्य, उद्योग की दृष्टि से भी कृषि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं कहता हूं कि सिर्फ व्यापार, वाणिज्य और उद्योग की दृष्टि से ही नहीं बल्कि परिवहन की दृष्टि, रोजगार की दृष्टि, वित्त की दृष्टि से भी मुझे नहीं लगता कि इस सरकार का कोई मंत्रालय ऐसा होगा जो कृषि से प्रभावित नहीं होता होगा। आज जिस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर आधारित हो, उसकी कृषि पर ध्यान देना नितांत आवश्यक है। बहुत दुर्भाग्य है कि हमारे देश के अंदर बढ़ती आबादी के कारण हमारे खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है। 1976-77 में जो दो वर्ग हेक्टेयर की औसत जोत थी वह आज 0.8 वर्ग हेक्टेयर की जोत रह गई है। आज हम इसे कैसे रोकें ताकि हमारे खेत और छोटे न हों क्योंकि खेत का छोटे से छोटा होता चला जाना भी अपने आप में बहुत सारी समस्याओं को जन्म देता है। आज रोजगार की जो स्थिति हमारे देश में है, वह किसी भी रूप में कहें कि हम उद्योग में रोजगार दे देंगे, व्यापार में भी दे देंगे लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ कृषि का क्षेत्र ऐसा है जहां रोजगार दिया जा सकता है। दसवीं योजना के अंदर रोजगार के बारे में जो कहा गया है, जो बात कही गई है वह यह है कि अगर अगले दस वर्षों में साढ़े सात करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा सकता है तो वह मात्र इस देश की कृषि से दिया जा सकता है। बाकी उद्योगों में रोजगार घट रहा है, वाणिज्य में घट रहा है।

वाणिज्य के अंदर घट रहा है। आज जब देश की आबादी एक अरब से ज्यादा हो, रोजगार जहां की एक प्रमुख समस्या हो तो वहां कृषि के अंदर रोजगार देने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने की आवश्यकता है। महोदय, हमारे देश के किसान की सबसे बड़ी समस्या है उसकी कृषि की लागत का बढ़ना। आज लगातार वह जो उत्पादन कर रहा है उसकी लागत बढ़ती जा रही है, चाहे वह महंगे बीज की वजह से हो, चाहे बिजली के महंगे होने की वजह से हो, खाद के महंगे होने की वजह से हो। आज अगर हम देखें और सच्चे मायने में कृषक को देखें जो खुद खून-पसीना बहाकर खेती में पैदावार करता है तो शायद उसका पारिश्रमिक भी उस कृषि के अंदर निकल जाए, उसकी मजदूरी भी उस खेती में निकल जाए तो यह एक बहुत बड़ी बात होती है।

अपने घर के अंदर मैं खेती करवाता हूं। महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर खेती के सारे खर्चों को जोड़ा जाए और उसके बाद उससे होने वाली आमदनी को जोड़ा जाए और खुद एक आदमी उसमें मेहनत न करे तो शायद उसके अंदर जो पैदावार हुई है और खर्च हुआ है वह खर्च शायद उस आमदनी से ज्यादा होगा। आज जिस किसान की यह हालत हो कि जो भूखा सोने को मजबूर हो तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस देश का वह किसान जो सारे देश के लिए अन्न पैदा करता है वह भूखा न सोए। उसके तन पर कपड़ा हो, उसके बच्चों के लिए शिक्षा हो और उसके लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत जरूरतें हैं वे उस किसान के लिए भी हों।

महोदय, मैं राजस्थान से आता हूं। मुझे मालूम है कि आज किस प्रकार से जल स्तर

नीचे जाता चला जा रहा है। आज खेती के लिए वाटर लेविल लगातार नीचे जाने की वजह से जो पुराने ट्यूबवेल बने हुए थे वे बेकार होते चले जा रहे हैं। राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा रेगिस्तान का है जहां पीने का पानी 2-3-4 सौ फुट नीचे से लाना पड़ता है। तो आज इस बात को सोचना पड़ेगा कि जो बारिश का पानी बेकार जाता है उस बारिश के पानी को कैसे रोकें और वाटर लेविल कैसे ठीक रहे। जब अकाल पड़ता है तो एक साल में एक हजार करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। लेकिन अगर वह एक या दो हजार करोड़ रुपया एक बार इस बात पर खर्च किया जाए कि जो बारिश का पानी बेकार जाता है उसके लिए छोटे छोटे एनीकट कैसे बनाएं जाएं, छोटे छोटे बांध कैसे बनाएं जाए और वाटर लेविल को हम बराबर ले आएं, वाटर लेविल को ऊंचा रखें तो आज जो ट्यूबवेल बेकार हो रहे हैं जो किसान बड़ी मुश्किल से कर्ज लेकर ट्यूबवेल बनाता है, लेकिन वाटर लेविल के नीचे हो जाने की वजह से आज वह ट्यूबवेल बेकार हो जाता है तो शायद उस किसान पर पड़ने वाली मार से उसे बचाया जा सकता है।

महोदय, अभी खाद में कौशिक जी सब्सिडी की बात कह रहे थे। यह बात बिल्कुल सही है जो उन्होंने बतायी कि किस प्रकार से वे देश जो अपने यहां तो खूब सब्सिडी देते हैं लेकिन भारत के अंदर सब्सिडी न दी जाए इसके बारे में कभी आईएमएफ के माध्यम से या कभी किसी और माध्यम से इस दिशा में प्रयास करते हैं। उन्होंने बताया कि यूरोप के समुदाय किस प्रकार से एक हेक्टेयर में 1016.8 डालर की सब्सिडी देते हैं, जापान में 6915.6 डालर की देते हैं, न्यूजीलैंड में 317.1 डालर की देते हैं, कनाडा में 167.2 डालर की देते हैं और भारत में मात्र 17.8 डालर की सब्सिडी एक हेक्टेयर पर है। मुझे तो हैरत होती है कि कैसे ये देश इस प्रकार से कुचक्र चलाने का प्रयास करते हैं कि भारत जो गरीब देश है, विकासशील देश है इसके अंदर उस गरीब किसान को सब्सिडी न दी जाए जबकि वे अपने यहां इतनी सब्सिडी दें। तो यह इस प्रकार का कुचक्र है कि यहां की खेती बरबाद हो जाए और उनकी जो वस्तुएं हैं वे हमारे देश के अंदर आएं जिससे उनके जो सपने हैं वे साकार हों। तो हमें इस बात को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा और हमारे किसान को किस प्रकार से सस्ती खाद उपलब्ध हो इस बारे में निर्णय करना पड़ेगा।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारा कृषि का जो बजट है, किसान को बड़ी उम्मीदें इस बजट से होती हैं। लेकिन जो बजट कृषि के लिए दिया जाता है उस बजट का भी सही रूप से उपयोग नहीं होता। उस बजट का भी पूरा उपयोग नहीं होता है। 1997-98 में सिर्फ 83 परसेंट बजट का उपयोग हुआ, 1998-99 में 68 परसेंट बजट का उपयोग हुआ, 1999-2000 में सिर्फ 89 प्रतिशत बजट का उपयोग हुआ। एक तरफ जहां आंध्र प्रदेश के अंदर, जहां महाराष्ट्र के अंदर, जहां पंजाब के अंदर किसान आत्म हत्या कर रहे हों और दूसरी तरफ जो बजट का प्रावधान हमारे पास मौजूद है हम उन किसानों को राहत देने के लिए, रिलीफ देने के लिए उस बजट को भी खर्च न करें, यह कितनी सरकार की एक इनइफीशिएंसी है। तो इस ओर भी हमें ध्यान देना होगा। महोदय, खाद की आयात-निर्यात नीति के बारे में अभी चर्चा हुई लेकिन इस नीति के अंदर सरकार को यह देखना पड़ेगा कि हमारे उत्पादों का किसानों को अच्छा मूल्य मिले और जो चीज़ हमारे यहां सरप्लस है, हमारे बाजारों में नहीं बिक पाती है तो हम किसानों को कम से कम ऐसी सलाह दें कि वह उत्पादन पैदा करें जिसका हम निर्यात कर सकें। अभी पिछले दिनों में आयातित चीज़ों के अंदर खाद्य तेल का हमारे यहां बहुत बड़ी तादाद में आयात किया गया। उसकी वजह से तिलहन को बहुत बड़ा धक्का लगा और तिलहन के

उत्पादन पर उसका बहुत प्रभाव पड़ा और किसानों उससे काफी नुकसान हुआ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि जो बजट पेश किया गया उसके अंदर, कैबिनेट मिनिस्टर अजीत सिंह जी अभी यहां नहीं हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं वित्त मंत्री जी को पत्र लिखा था और उसमें कहा था कि जो भी दस हॉर्स पॉवर तक के डीज़ल इंजन हैं, पंप सैट हैं, उन पर जो 16 परसेंट एक्साइज़ ड्यूटी लगाई गई, वह न लगाई जाए, क्योंकि वह 95 प्रतिशत गरीब किसानों के काम आते हैं। जहां एक तरफ किसान की बात करते हैं और उनकी खेती में जो उपकरण काम आते हैं, मशीनें काम आती हैं, उसके ऊपर अगर हम एक्साइज बढ़ाते हैं तो कैसे हम किसान को राहत पहुंचा सकेंगे। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे तो दुख हुआ कि मैं बजट पर बोल नहीं सका, लेकिन जितनी चीज़ों पर दाम बढ़ाए गए उनमें ज्यादातर वे चीज़ें थीं जो एक गरीब के इस्तेमाल में आती हैं, जो एक किसान के इस्तेमाल में आती हैं। आज मिट्टी का तेल कोई अमीर आदमी नहीं जलाता, लेकिन एक किसान मिट्टी का तेल जलाता है। लिफाफे और पोस्टकॉर्ड की कीमत बढ़ी जो कि एक आम आदमी इस्तेमाल करता है, बिजली के बल्ब की कीमत बढ़ी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की कीमत बढ़ी, यह बात समझ में नहीं आती कि हम गरीब आदमी या गरीब किसान के हक की बात तो करते हैं, लेकिन उन चीज़ों की कीमतें बढ़ी जो कि आम आदमी या किसान के काम आती हैं और अगर सस्ती हुई तो विदेशी शराब सस्ती हुई, सेलुलर सस्ता हुआ, पेजर सस्ता हुआ, कंप्यूटर सस्ता हुआ। इसलिए आज यदि हम किसान की बात करते हैं तो सच्चे रूप में हमें किसान के हित में सोचना होगा।

आदरणीय महोदय, अभी उदारीकरण की बात चल रही थी और जब फाइनांस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल पर यहां बहस हुई ... **(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : आप दो मिनट में खत्म कर दीजिए। आपकी पॉर्टी के अभी चार और स्पीकर हैं।

डा. अबरार अहमद : तो उस समय माननीय यशवंत सिन्हा जी ने कहा था कि यह उदारीकरण कांग्रेस ने प्रारंभ किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं भी उस समय थोड़े समय के लिए केन्द्र में वित्त राज्य मंत्री रहा, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उस समय जो देश की स्थिति थी, देश की यह हालत थी कि सोना गिरवी रखा था, मुद्रा-स्फीती दो अंकों को पार कर गई थी, तीन हफ्ते तक लोगों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं था, उन हालात में वह आर्थिक उदारीकरण या आर्थिक सुधार जो किए गए, वे इस बात को ध्यान में रख कर किए गए थे कि यह देश एक कृषि प्रधान देश है, इस देश की आबादी एक अरब की आबादी है, इस देश के अंदर अशिक्षा है, बेरोज़गारी है और प्रायरिटी सैक्टर के माध्यम से उन पर एक नियंत्रण रखा गया था, हम खुद उसकी मॉनिटरिंग करते थे कि अगर गरीब किसान को 18 परसेंट ऋण देना आवश्यक है तो 18 परसेंट होना चाहिए। अभी कौशिक जी ठीक कह रहे थे कि आज जिस तरह से विनियोग की स्थिति आ गई कि अब 15 परसेंट भी किसान को नहीं मिल रहा है। आखिर क्यों, क्यों नहीं उसके बारे में सोचा जा रहा है? सिर्फ उदारीकरण का यह कह करके कि कांग्रेस ने प्रारंभ किया, कांग्रेस ने उसके अंदर गरीब किसान का पूरा ध्यान रखा था। कांग्रेस ने व्यापार में, वाणिज्य में बाध्यताएं रखी थीं, जिस प्रकार के प्रतिबंध लगाए थे आपने उन सब प्रतिबंधों को हटा दिया। किसान को जिससे राहत मिले वे प्रतिबंध बताए थे और आपने सब प्रतिबंध हटा दिए। कांग्रेस ने तो सिर्फ एक नक्शा खींचा था, उसमें सिर्फ रंग भरना बाकी था, दुर्भाग्य यह है कि जो रंग भरा, कांग्रेस जहां चेहरे पर सफेद रंग करना चाहती थी, उन्होंने काला

रंग लगा दिया, कांग्रेस जहां काले बाल करना चाहती थी, उन्होंने सफेद बाल कर दिए, और आदमी की जगह वह एक राक्षस की तस्वीर बन गई जिससे आज सारा देश देख रहा है कि उदारीकरण से देश को फायदा हुआ या नुकसान हुआ। कांग्रेस ने ऐसी तस्वीर कभी नहीं बनानी चाही थी। कांग्रेस ने गरीब को राहत देने के लिए, मजदूर को राहत देने के लिए, जिस उदारीकरण के रास्ते पर चले थे कि दुनिया के बाजार के अंदर हिन्दुस्तान की एक साख बने, उसकी एक पहचान बने, उस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी चली थी।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, कृषि नीति जुलाई, 2000 में घोषित की गई।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, लेकिन जहां तक टाइम का सवाल है, आपके कुछ एक-दो साथियों को कैज्युलिटी बनना पड़ेगा।

डा. अबरार अहमद : महोदय, मैं दो, तीन मिनिट में वाइंड-अप कर दूंगा।

महोदय, हमारी कृषि नीति वर्ष 2000 में घोषित हुई और 4 प्रतिशत की उत्पादन दर रखी गयी, लेकिन उस कृषि नीति में कहीं यह बात नहीं रखी गयी कि उस लक्ष्य की प्राप्ति हम कैसे करेंगे? किसान को बिजली कैसे देंगे, कैसे खाद देंगे और कैसे पानी देंगे - इन बातों को कम-से-कम सोचना चाहिए था। आप जो 4 परसेंट दर की बात करते हैं, उस को किस प्रकार से उसे देना चाहेंगे, यह सोचना चाहिए था।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज किसान को हर चीज की सज़ा मिलती है। देश में कुछ भी गतिविधि हो तो किसान को उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। अगर संसद पर हमला हुआ तो राजस्थान के किसान को उसकी सजा उठानी पड़ी। संसद पर जब आतंकवादियों का हमला हुआ तो प्रधान मंत्री ने कहा कि आरपार की लड़ाई होगी। यह सुनकर किसान का सीना चौड़ा हो गया कि आज हमारे देश की संसद पर किसी ने हमला किया है और देश का प्रधान मंत्री आरपार की लड़ाई की बात करता है। किसान चौड़ा सीना कर के खड़ा हो गया, लेकिन सारी फौजों को सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर मोड़ दिया गया। राजस्थान के किसानों की जो लहराती खेती थी, उसे रौंद दिया गया, उनके खेतों में खाई बना दी गयी जिस से सैकड़ों, हजारों हैक्टेयर जमीन बर्बाद हो गयी तब राजस्थान के किसान ने आंसू नहीं बहाए, उस ने कहा कि अगर मेरे सीने पर भी हल चला दिया जाए तो भी मैं अपने देश के लिए हर चीज की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन किसी ने जाकर राजस्थान के किसान के आंसू नहीं पोंछे और जब उस आरपार की लड़ाई का किसान ने नतीजा जानना चाहा तो नतीजा मात्र यह निकला कि जैसे ही चार राज्यों के चुनाव खत्म हुए, बात खत्म हो गयी। क्या सिर्फ उन चार राज्यों के चुनाव के लिए यह सब कुछ किया गया था? राजस्थान के किसान ने उसकी कितनी बड़ी कीमत पे की है, उस का अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से मांग करता हूं कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के जिन किसानों को उस आरपार की लड़ाई से नुकसान हुआ है, उनके आंसू पोंछे जाएं, उनको मुआवजा दिया जाए, जिस प्रकार से उनकी खेती बर्बाद की गयी, उनकी जमीन रौंदी गयी, उस तरफ सरकार ध्यान दे। महोदय, खास बात यह है कि चारों राज्यों के चुनाव निकल गए तो मोदी जी को गुजरात का मुख्य मंत्री बनाया गया। उन्हें मुख्य मंत्री कैसे बनाया गया और क्यों बनाया, यह वे जानें, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि जहां किसानों के अंदर सांप्रदायिकता नहीं होती थी, आज गुजरात के गांवों में किसानों तक सांप्रदायिकता पहुंच गयी है। वहां गांव-गांव में जाकर लोगों को मारा गया है।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : अबरार साहब, मेरे ख्याल में इस का कृषि मंत्रालय के कामकाज के साथ कोई संबंध नहीं है?

डा. अबरार अहमद : संबंध है, उपसभाध्यक्ष जी।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : इस तरह तो हर चीज का हर विषय से संबंध हो सकता है।

डा. अबरार अहमद : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम बात कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। आज जहां गांवों तक सांप्रदायिकता पहुंची भी है और अगर किसी की यह सोच है कि उन गांवों में रहने वाला मुसलमान डरकर भाग जाएगा तो मैं आज सदन के अंदर यह कहना चाहता हूं कि सन् 1947 में जो मुसलमान इस हिंदुस्तान में रहा था और उसे यह फैसला करना था कि मुझे इस मुल्क में मारा भी जा सकता है, कत्ल भी किया जा सकता है। लेकिन उस ने कहा कि मैं भारत माता का बेटा हूं, चाहे जिऊंगा या मरूंगा, लेकिन भारत माता की गोद नहीं छोड़ूंगा। जो मुसलमान 1947 में मरने की कीमत पर हिंदुस्तान में रहा हो, वह डरकर कहीं नहीं जा सकता। अगर किसी की यह सोच है कि वह भाग जाएगा तो वह अपनी सोच बदल ले। वह इसी हिंदुस्तान में रहेगा। धन्यवाद।

SHRI C. PERUMAL (Tamil Nadu): Sir, agriculture is the backbone of the Indian economy. It not only provides food of the desired quantity and quality to nearly 100 crore people, but also provides jobs to over 70 per cent of the country's population. It is only through the application of science and technology that we can improve the productivity, profitability and sustainability in various parts of the country.

I would like to highlight three major evolutionary phases. The first phase, extending from 1900 to 1950 was a period of stagnation in our agricultural and rual economy. The average growth rate in agriculture during this period was about 0.3 per cent. Agricultural stagnation meant rural stagnation and this in turn led to the drain of both brain and resources from the village to the town. Stagnation also meant that no attempts were made to provide any form of commercial energy in support of agricultural occupations. Even today the farm sector, which provides nearly 35 per cent of the export earnings and sustains over 70 per cent of the population, consumes only 10 per cent of the commercial form of energy. Thus, the contribution of this sector to our economic well-being is immense, considering insignificant investment of resources and energy. Our experience of the 19th century was that there was famine whenever agricuture failed due to unfavourable weather conditions.

The second phase of our evolution covering the period from 1950 to 1980 was one of growth in the development of the infrastructure,

necessary for the modernisation of agriculture. Impressive progress took place during this period in developing powerful instruments for technology development, technology transfer and technology sustenance.

During the third phase of agricultural evolution, a higher proportion of farmers have something to offer to the market. Consequently, public policies in the field of post-harvest operations have assumed great importance. Also, growing disparities and unevenness in agricultural progress between regions, crops and farmer categories are creating various kinds of tensions and distortions. The rapid growth in population resulting in increasing fragmentation of holdings is making the size of farms smaller and smaller. Therefore, the number of families, which have to make a contribution for achieving a specific production target is increasing. The size of the landless labour population is also growing. Minimising regional disparities and extending the benefits of new technology to all classes of farmers has, therefore, become necessary. The poor soil structure, alkalinity, acidity and salinity result in the poor crop production. Hence land reclamation is necessary in our country. Soil health care and soil testing laboratories are essential for sustained agricultural productivity.

[THE VICE-CHAIRMAN, (SHRI SURESH PACHOURI), in the chair.]

Under conditions of large, medium and small farms, the net "take home" income of the farmer is very small. The risks become correspondingly greater when input costs are high. For example, in our country, the price of nutrients has been going up. Fertilizer prices have increased. Farming is the riskiest profession in the world. The poor farmer will not be able to derive benefit from the new technology based on purchased inputs, if the price of these inputs is kept high. A majority of our farmers also live in dry farming areas. The soils in such areas have been described as even more 'hungry'. Soils in dry farming areas hence respond well to nutrient application. When fertilizer prices are high, balanced fertilization becomes a casualty. If the average productivity is to be improved, more farmers will have to have the capacity to purchase good seeds and fertilizers.

The current phase of our agriculture is hence highly dependent on new economic policies for its success. Community cooperation and endeavour will be the other major requirements. Fertilize-use efficiency, for example, varies a great deal depending upon the level of management.

5.00 P.M.

Realising the problems of farmers, the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi, Amma, has waived the interest on the loans of farmers to the tune of Rs.311 crores. Our AIADMK Government in Tamil Nadu is providing a lot of assistance to the farmers, particularly, small farmers.

Thus, we have entered a stage of agricultural evolution where more detailed attention will have to be given to the cooperative organisation of farmers and farming, to the management of both the production and post-harvest phases of agricultural operations and above all, to the new Economic Policy Package essential for increasing production. Thank you.

श्रीमती सरोज दुबे (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी के लिए नियत समय, 6 मिनट, में ही किसानों की समस्या और उनकी चुनौतियों की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगी।

महोदय, जब हम भारत शब्द का उच्चारण करते हैं तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की भारत की छवि हमारे सामने उभरती है, जिसे उन्होंने गांवों में देखा था और इसीलिए उन्होंने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। महाकवि सुमित्रानन्दन पंत ने भारत माता के ग्रामवासिनी के रूप में दर्शन किए थे। उन्होंने कहा :-

भारत माता ग्राम वासिनी,
खेतों में फैला है आंचल, धूल भरा मैला हैं आंचल
अश्रु सिक्त कल हास हासिनी,
भारत माता ग्राम वासिनी

भारत माता ग्रामवासिनी -- एक गांव, उसमें धान के लहलहाते खेत और उसमें काम करती हुई भारतीय महिला। ग्रामवासिनी में उन्होंने भारत माता के दर्शन किए थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने खेती की महत्ता को स्वीकार करते हुए किसान के श्रम को महत्व देने के लिए 'जय जवान, जय किसान' का नारा दिया था। उन्होंने बता दिया था कि अगर हमारे सैनिक बंदूक लेकर हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं तो हमारे किसान खेत-खलिहान में अपना खून-पसीना बहाकर देश के लिए अन्न का भंडार भरने का काम करते हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी अन्न का रिकार्ड उत्पादन करने के लिए किसानों को अपने अभिभाषण में बधाई दी थी। फिर भी किसान परेशान है, फिर भी किसान की फसल नहीं बिकती, उसे अपना माल लागत से कम में बेचना पड़ता है। आज किसान के सामने समस्या यह है कि वह इस धंधे को करे या बंद कर दे क्योंकि वह बहुत अधिक परेशान है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि एक तरफ तो 6 करोड़ टन अनाज के भंडारण की समस्या है, दूसरी ओर अनाज का विपुल भंडार होते हुए भी भूख से मरने वालों की संख्या में दिन-प्रतिदिन वृद्धि क्यों होती जा रही है? आज 20 करोड़ 40 लाख लोग कुपोषण का शिकार हैं। 3.5 करोड़, देश की एक तिहाई आबादी के घर में एक वक्त चूल्हा नहीं जलता, उनके पेट में भूख की आग जलकर रह जाती है। लाखों टन अनाज सरकार के और साहूकारों

के गोदामों में सड़ रहा है। हमारे यहां जितना अनाज सड़ता है, उतनी आस्ट्रेलिया की कुल फसल होती है। तो मैं जानना चाहती हूं कि ऐसा क्यों है और क्या मंत्री जी ने कभी इस बारे में सोचने का प्रयास किया है? मैं समझती हूं कि इसका एक ही मुख्य कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था आज विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व व्यापार संगठन के निर्देशन के तहत इस कदर उलझ गई है कि भारतीय उपज में एक ओर तो घटती हुई उत्पादकता का खतरा मंडरा रहा है और दूसरी ओर भूमंडलीकरण से उपजी गंभीर चुनौतियां उसके सामने हैं। कृषि के व्यवसायीकरण और आधुनिकीकरण ने भारतीय कृषक के सामने चुनौतियां का अम्बार लगा दिया है। समय कम है, इसलिए माननीय मंत्री जी मैं आपसे सीधे सवाल पूछ लेती हूं कि क्यों खेती का व्यवसाय आज अलाभकारी होता चला जा रहा है? उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन हमारे खेतों की उत्पादकता क्यों कम होती चली जा रही है? औद्योगिक क्षेत्र के रोजगार में क्रमशः गिरावट आ रही है लेकिन अगर दस साल कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया जाए तो साढ़े सात करोड़ रोजगार की संभावनाएं पैदा की जा सकती हैं। तो मैं जानना चाहती हूं कि जिस कृषि क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं निहित हैं, आप उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? भंडार गृह और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए उदार शर्तों पर ऋण क्यों उपलब्ध नहीं कराया जाता? कृषि क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने और बढ़ाने का लक्ष्य आपने क्यों नहीं रखा? हरित क्रांति के बाद खेती में जिस तरह की जेनेटिक क्रांति और उन्नत बीजों की क्रांति हो रही है, उसमें हम क्यों पिछड़े हैं, जबकि हमारे यहां कृषि वैज्ञानिकों की कमी नहीं है? गरीबी की रेखा से नीचे की आमदनी वाले छोटे किसान, दलित और कमजोर वर्ग के किसानों को समय पर और कम खर्च पर उन्नत बीज क्यों नहीं प्रदान किए जाते? विद्युत की आपूर्ति में निरंतर गिरावट सिंचाई में व्यवधान पैदा करती है। उसके अभाव में जब डीज़ल का प्रयोग किया जाता है तो उत्पादन लागत बढ़ जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी का ज़माना था तो पूरे देश में नहरों का जाल बिछाया गया था। आज उन नहरों की सिर्फ सफाई हमें करानी है, अगर उनकी सफाई करा दी जाए, उनमें से घास निकाल दी जाए तो वे नहरें सिंचाई का काम कर सकती हैं, लेकिन सफाई का काम नहीं कराया जाता है। नतीजा यह है कि पानी की कमी है और बिजली की कमी है बिजली के अभाव में किसान को महंगा डीजल खरीदना पड़ता है। छोटे, सीमान्त किसानों को नई कृषि प्रौद्योगिकी और फसलों के विविधीकरण की जानकारी समय से क्यों नहीं दी जाती? वांछित बीज, उर्वरक और कीटनाशक को उपलब्ध कराना भी एक चुनौती है, उसका आप कैसे मुकाबला करेंगे? उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में अधिकांश किसानों के पास 2 हैक्टेयर से भी कम भूमि है। इसलिए अक्सर यह बहाना बना दिया जाता है कि हमारे यहां छोटे-छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, इस कारण कृषि का उत्पादन कम है। लेकिन जापान ने तो छोटी-छोटी जोतों के जरिए ही अपनी उत्पादकता को बहुत अधिक बढ़ा लिया है, जब कि रूस में बड़े-बड़े फॉर्मों पर खेती करने के बावजूद उनकी उत्पादकता नहीं बढ़ पाई। इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि इतने सारे सवाल, इतनी सारी चुनौतियां आज किसान के सामने हैं। अगर सरकार केवल इन्हीं को देख ले तो किसानों के दुर्दिन समाप्त हो सकते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, देश की 70 प्रतिशत आबादी का जीवन-यापन खेती पर निर्भर है। हमारे निर्यात क्षेत्र में कृषि क्षेत्र की भागीदारी 17.1 प्रतिशत से अधिक है। पिछले दशकों में कृषि को भरपूर प्रोत्साहन दिया गया तो हरित क्रांति आई और हम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए। जब माननीय मंत्री जी कृषि क्षेत्र पर विचार करते हैं, तो उन्हें उससे संबंधित

हर चीज पर विचार करना चाहिए। चाहे मत्स्य पालन हो, चाहे डेयरी हो, चाहे पशु-पालन हो, चाहे शहद उद्योग हो, चाहे खाद्य प्रसंस्करण हो, ये सारी चीजें खेती से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इन पर भी समग्र रूप से विचार करना चाहिए। महोदय, जब देश में दुग्ध उत्पादन पर ध्यान दिया गया तो श्वेत क्रांति आई और आज हम विश्व के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक हैं। अब यह बात दूसरी है कि हमारे देश का बच्चा एक घूंट दूध के लिए तरसता है। लेकिन इतना होने के बाद भी हम विश्व के बाजार में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में एक परसेंट जगह भी नहीं बना पाए। इसलिए हमें अपने दूध की क्वालिटी को सुधारना चाहिए।

महोदय, हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। हमें खाद्य प्रसंस्करण और कृषि विविधीकरण को अब तीसरी क्रांति के रूप में इस देश में लाना है लेकिन हमने जो पहली दो क्रांतियां की थीं, उनमें हम पीछे की ओर जा रहे हैं। हमारी कृषि की उत्पादकता घटनी शुरू हो गई है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहती हूं कि जहां हम दस कदम आगे बढ़ गए थे, वहां हम पीछे कैसे जा रहे हैं? हम श्वेत क्रांति में भी अपनी कोई जगह नहीं बना पा रहे हैं। तो हम जो यह खाद्य प्रसंस्करण और कृषि विविधीकरण की तीसरी क्रांति लाने का सपना देख रहे हैं, वह कैसे संभव हो सकती है?

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हू कि यह जो आयात बाजार खोल दिया गया है, उससे किसान बहुत परेशान है। अब सारी चीजे विदेशों से आने लगी हैं। उसका नतीजा यह हो रहा है कि किसान का उत्पाद बाजार में नहीं बिक रहा है। आज हमारे यहां हॉलैंड से दूध आ रहा है। किसी ने खूब कहा है कि -

हॉलैंड से दूध आया,
अमेरिका से ही पनीर मिला।
न्यूजीलैंड से मिला घी,
आंख मूंदकर पी।

यानी अब हम अपनी देसी चीज को न खाएं, आंख मूंदकर विदेशी चीजों का रसास्वादन करते रहें। उसमें हमारा किसान बिल्कुल बरबाद हो जाएगा, भुखमरी का शिकार हो जाएगा और आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाएगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इन्होंने आयात खोल दिया उसका नतीजा यह हुआ कि हमारा बाजार विदेशी वस्तुओं से पट गया है। लेकिन हम विदेशों में आज अपनी पैठ नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो गेहूं बाहर जाता है, वे कहते हैं कि इसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, इसमें ज्यादा उर्वरक डाला गया है। अभी हाल ही में ईरान ने हमारा गेहूं वापस कर दिया है। हमारी और भी कई चीजें वापस आ रही हैं। हमारा दुग्ध व्यवसाय भी इसीलिए पीछे है क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के मापदंड पर पूरा नहीं उतर रहा है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि हर तरह से किसानों की बरबादी हो रही है। इसलिए माननीय मंत्री को विशेष रूप से इस पर ध्यान देना पड़ेगा। मैंने जो बातें कही हैं, मुझे उम्मीद है कि आप उन पर ध्यान देंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि कृषि अनुसंधान पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। जब तक हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक हमारा खेती का व्यवसाय आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर कृषि का व्यवसाय एक बार बिखर गया तो हम फिर से

पराधीन हो जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि किसान बहुत परेशान है। आपको किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। चाहे जैसे भी हो आपको प्राथमिकता के आधार पर किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तभी देश में पहले जो हरित क्रांति का इतिहास बना था जिसके परिणामस्वरूप हमारे अन्न भंडार अन्न उगल रहे हैं और हमारा दूध का उत्पादन सर्वाधिक है, उसी तरह से आप और एक नया इतिहास बनाएं, एक नयी क्रांति लाएं ताकि इस देश का किसान सुख और शांति से रहे और इस देश का पालन करके, इस देश के मोर्चे पर खड़ा रहे। खलिहान और खेतों को देखकर एक बार फिर से मुस्कुराएं और भारतमाता का जो मैला सा आंचल है, वह एक बार फिर से जगमगाने लगे और भारत एक बार फिर से सुनहरा हो जाए। हमारा भारत एक बार फिर से आत्मनिर्भर होकर विश्व बाजार की प्रतिद्वंद्विता में सबसे आगे निकल जाए, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

श्री ललितभाई मेहता (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्रालय के कामकाज पर आज चर्चा चल रही है। इसके पहले भी हमने इसी सदन में किसानों की दयनीय दशा और दुर्दशा के ऊपर चर्चा की है। इस मंत्रालय का इस साल का जो कामकाज है, उसको अगर ध्यान में रखें तो मुझे लगता है कि कई बातें ऐसी हैं जिन पर कृषि मंत्रालय ने काफी ठोस कदम उठाये हैं। हमने नौंवी पंचवर्षीय योजना में किसानों को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य 2 लाख 29 हजार 750 करोड़ रुपये का रखा था और नौवीं पंचवर्षीय योजना पूरी होते-होते किसानों को जो ऋण मिलेगा वह 2 लाख 33 हजार 703 करोड़ रुपये का है यानी जो लक्ष्य रखा गया था उसको हम पार कर जायेंगे। देश में दो करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये गये हैं और उन किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 43 हजार 392 करोड़ रुपये की राशि इनके लिए क्रेडिट के रूप में, ऋण के रूप में मंजूर कर दी गई है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या फसल बर्बाद होने की, प्राकृतिक आपदा की रहती थी, इसके लिए देश में कम्प्रेहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम अमल में लाई गई है, उसके कारण आज 20 लाख से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। क्रॉप इन्श्योरेंस में कई कृषि चीज़ें समाविष्ट नहीं थीं, हार्टिकल्चरल और कामर्शियल क्राप्स, इसका भी समावेश इसमें कर दिया गया है और किसानों को इससे अच्छी राहत मिल रही है। जो बातें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में यहां पर कही जाती हैं, डब्ल्यु.टी.ओ. के कारण जो बातें यहां पर कही जाती हैं, उनके बारे में, मैं बताना चाहता हूं कि देश में कुल जो आयात हो रहा है वह 1.8 मिलियन डालर का हो रहा है और जो निर्यात हो रहा है वह करीबन 6 मिलियन डालर का हो रहा है। इसका मतलब यह है कि किसान और कृषि क्षेत्र को मुश्किलात खड़ी करने वाली जो बात है, वह सही नहीं है। वैसे किसान और कृषि मंत्रालय को देखेंगे तो इसके कई विभागों की चर्चा करना आवश्यक है। लेकिन कुल मिलाकर जो परिस्थिति हमारे सामने है कृषि मंत्रालय को ध्यान में रखते हुए, कृषि मंत्रालय को जिन बातों पर गौर करना चाहिये, विचार करना चाहिए, उन पर उसने विचार किया है। आज यह एक आम धारणा बनी हुई है कि केमीकल फर्टिलाइजर के बिना खेती संभव नहीं है अर्थात केमीकल फर्टिलाइजर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने से पैदावार बढ़ती है, कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है, यह धारणा बिल्कुल गलत धारणा है। हमारे देश में पानी के संग्रह की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके कारण जो परिस्थिति है, उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक आर्टिकल आया था, मैं उसको उद्धृत करना चाहता हूं : "The average annual potential in river basins of India is 66,003 mcft. out of which only 24,367 mcft. is utilised while 41,637 mcft. is wasted to the sea." इतनी बड़ी मात्रा में पानी समुद्र में बहकर चला जाता है। अगर उसका उपयोग हम खेती के लिए

करें तो अच्छा है। हमें यह बताया गया है कि अगर हम इसका उपयोग करेंगे तो कम से कम 16500 करोड़ रुपये से लेकर 90750 करोड़ रुपये से अधिक का अन्न और कृषि पदार्थ मिलने की संभावना है। इसलिए इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। हमारे देश में पशु सम्पदा की दृष्टि से गाय को हम दूध देने वाला पशु मानकर चलते हैं। लेकिन कृषि के क्षेत्र में गाय का अनेक वर्षों से योगदान रहा है। उसके गोबर से, उसके मूत्र से हम खाद बना सकते हैं, दवाई बना सकते हैं और उसका जितना उपयोग हमें करना चाहिए, उतना उपयोग हम नहीं कर रहे हैं। जो बायोडीग्रेडेबल वेस्ट है, उसका जो उपयोग हमें करना चाहिए, वह हम नहीं कर पा रहे हैं। उसके कारण आज अनेक समस्याएं हमारे सामने खड़ी हुई हैं। अगर हमें ज्यादा जमीन को खेती के दायरे में लाना है, कृषि के दायरे में लाना है, 4 करोड़ हैक्टेयर के करीब जमीन कृषि के लायक बनाना चाहते हैं तो इसका उपयोग देश में करने की आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए जो नयी कृषि नीति बनी थी, उस कृषि नीति में यह कहा गया था कि कृषि का व्यवसाय आज कोई आकर्षक व्यवसाय नहीं रहा। इसको ध्यान में रखते हुए हमें यह बात सोचनी पड़ेगी। कृषि मंत्रालय के द्वारा एक ग्रुप श्री शरद जोशी के नेतृत्व में बनाया गया है। एक दूसरा ग्रुप जो बनाया गया है, वह ऑरगैनिक फार्मिंग के लिए डाक्टर यादव के नेतृत्व में है और एक तीसरा ग्रुप इसलिए बनाया गया है कि हमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर कैसे मिलें, वह श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया जी के नेतृत्व में बनाया गया है। लेकिन कृषि मंत्रालय के द्वारा यह सब ग्रुप्स बनाए गये हैं, स्टडी ग्रुप बनाए गये हैं। देश की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम यह सोचें कि कौन सी नीति हम अपनाने जा रहे हैं, हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं। नेशनल कमीशन ऑन कैटल हमने बनाया। ऐनीमल वैलफेयर बोर्ड हमारे देश में काम करता है लेकिन इसी कृषि मंत्रालय के तहत हमने एक नेशनल मीट बोर्ड अभी दसवीं पंचवर्षीय योजना के तत्वावधान में बनाया है और उस नेशनल मीट बोर्ड की जो सिफारिशें हैं, उन सिफारिशों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा पशु धन इस देश से क्रमशः खत्म होता चला जाएगा, ऐसी परिस्थिति आ जाएगी। दूसरी तरफ पशु धन के कारण हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में जो तरक्की होनी चाहिए थी, वह भी हम नहीं कर पाएंगे। महोदय, देश में मांस का कुल जो निर्यात हो रहा है, वह चार प्रतिशत है लेकिन मांस के उत्पादन के जो आंकड़े दिये गये हैं- सदन में ही जवाब दिया गया था - भैंस के मांस का इस देश में 72 लाख टन एक साल का उत्पादन बताया गया है, उसमें से चार प्रतिशत 2 लाख 88 हजार टन मांस का निर्यात हुआ। अगर हम आंकड़े देखें कि इतना मांस अगर हमें चाहिए तो इसके लिए 9 करोड़ के करीब भैंसों को कत्ल करना होगा। हमारे देश में जो पशु धन की संख्या है, उसको अगर हम ध्यान । रखें तो यह बात कभी भी संभव नहीं है। इसकी वजह से, हम यह कह सकते हैं कि भैंसों के कत्ल के अलावा दूसरे पशुओं का कत्ल हमारे देश में हो रहा है, जिस पर पाबंदी है, प्रतिबंध है। हमारे देश में यह परिस्थिति है। इसको हमें ध्यान में रखना होगा कि हमारे देश में पशुधन के कत्ल के कारण जो आय हम गंवा रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है - अलकबीर के कत्लखाने में पांच साल में दो हजार करोड़ रुपये मांस के द्वारा कमाई हो, उसके लिए 67 लाख भैंसों को कत्ल करना आवश्यक है, 36 लाख भेड़ों को कत्ल करना आवश्यक है, उससे दो हजार करोड़ रुपये हम कमा सकते हैं लेकिन दूसरी तरफ जो अभ्यास किया गया और उसके कारण जो परिस्थिति हमारे सामने आयी, वह यह है कि पांच साल में 1809 लाख टन गोबर प्राप्त कर सकते हैं, 482 लाख जमीन को आप....

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : अब आप समाप्त करें।

श्री ललितभाई मेहता : महोदय, मैं दो मिनट और लूंगा। 666 लाख टन अनाज का उत्पादन कर सकते हैं। जो आंकड़े मेरे पास आए हैं, उसके अनुसार - 27592 करोड़ रुपये की आय, इस कत्लखाने में अगर पशुओं को न भेजें और कत्ल न करके उनको जिंदा रखें तथा इनका उपयोग खेती के क्षेत्र में करें - तो हम कर सकते हैं। इस तरह से जो परिस्थिति है, उसको अगर हम ध्यान में रखें तो हमारे देश में कभी भी पशुओं को कत्ल करने की बात नहीं होगी। महोदय, हमारे देश में कत्लखाने चलाना, यह हमारी संस्कृति कभी नहीं रही है, मांस का निर्यात करना हमारी सभ्यता नहीं रही है, पशुओं का वध करना हमारा इतिहास नहीं रहा है। अगर देश में यही परिस्थिति रही, तो आज जो अभ्यास हुआ है वह कहता है कि देश में पक्षियों की 71 जातियां विलुप्त होने जा रही हैं, वनस्पति की 1256 जातियां विलुप्त होने जा रही हैं। धरती पर पेड़-पौधे नहीं होंगे, आकाश में पक्षी नहीं होंगे, जंगल में जानवर नहीं होंगे, गांव में पशुधन नहीं होगा, नदी और तालाब में पानी नहीं होगा, ऐसी गंभीर परिस्थिति में हम आ जाएंगे, ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि हम अपने पशुओं को पालें, उनको जीवन-दान दें और गो-धन जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का ही मूलाधार नहीं बल्कि अनेक क्षेत्रों के लिए जैसे आयुर्वेद के लिए, कृषि के लिए, अर्थ के लिए समाज का आधार-बिंदु है, उसको ध्यान में रखकर उसके पालन-पोषण की व्यवस्था करें।

महोदय, एक और बिंदु की ओर ध्यान दिलाकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कृषि मंत्रालय ने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एक स्टडी ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप ने जो बात कही है, वह तीन-चार वाक्यों में रखना चाहूंगा।

> "Organic farming, bio-dynamic farming not only reduce soil degradation but also enrich soil on an on-going basis. Cow-dung eliminates toxin and poisoning of soil and water."

आज जो विषाक्त अन्न हमें मिल रहा है, प्रदूषित पानी हमें मिल रहा है, उससे अगर बचना है, हमारे स्वास्थ्य को बचाए रखना है तो हमारे देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर हमें जाना होगा, यह बात कहते हुए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय। कृषि मंत्रालय पर चर्चा के दौरान आपने मुझे इसका भागीदार बनाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। वैसे समय की कमी और स्थिति को देखते हुए कुल मिलाकर अगर दो वाक्य बोल दिए जाएं तो पर्याप्त होगा। हमारे मित्रों ने अभी यहां पर इतनी बातचीत की है और यदि मैं कुल मिलाकर दो वाक्य बोलूं कि भगवान इस देश के प्रधान मंत्री को सद्बुद्धि दे और भगवान. इस देश के कृषि मंत्रालय की आत्मा को शांति प्रदान करे तो मैं समझता हूं कि सारा मामला ठीक हो जाएगा। शोकांजलि की तरह मैं यह कहना नहीं चाहता था लेकिन कुल मिलाकर परिस्थिति ही ऐसी है।

महोदय, आंकड़ों पर जितना कौशिक जी ने काम किया, जितना अबरार भाई ने काम किया, किदवई साहब ने काम किया, सरोज बहन ने काम किया और अभी ललितभाई जी बोल रहे थे तो ऐसा लगता था कि मंत्री उत्तर दे रहा है, तो मेरी भगवान से प्रार्थना है कि उनकी तरक्की हो जाए, मैं ऐसी शुभकामना करता हूं। महोदय, समय को नष्ट न करते हुए मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस सरकार ने, खासकर इस देश के प्रधान मंत्री ने कृषि मंत्रालय को गंभीरता से लिया है? तीन-साढ़े तीन साल में इस देश को अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगुवाई में कितने कृषि मंत्री मिले, कभी हिसाब लगाया? दो बार तो नीतीश कुमार जी, एक बार स्वयं प्रधान

मंत्री जी, चौथी बार मिले श्री सुन्दर लाल पटवा और पांचवीं बार श्री अजीत सिंह। जो सरकार साढ़े तीन साल में पांच कृषि मंत्री दे, वह सरकार किसान और कृषि मंत्रालय के प्रति कितनी गंभीर है, हमें इस बात को सोचना चाहिए। महोदय, गंभीरता का दीवाला तब निकलता है कि जब सरकार इस बात का दंभ भरती थी, ढोंग करती थी कि हम पचास साल में पहली बार एग्रीकल्चर पेपर दे रहे हैं, कृषि नीति दे रहे हैं। सन् 2000 में यहीं खड़े होकर पटवा जी ने कहा था। वह कृषि नीति कहां है? उस कृषि नीति को पोस्टपोन करके रख दिया गया कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू करेंगे। तो मैं जानना चाहता हूं अजीत सिंह जी से, हुक्मदेव नारायण जी से और कृषि मंत्रालय के प्रभारियों से कि क्या यह कृषि नीति का शून्य काल चल रहा है जिसमें यह सदन बहस कर रहा है? यह बहुत गंभीर मुद्दा है और इस पर अगर आपने विचार नहीं किया तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश को आप बहुत पीछे ले जाएंगे।

महोदय, जैसा बताया गया, आपके राष्ट्रीय उत्पाद और राष्ट्रीय निधि में कृषि का योगदान 60 प्रतिशत था और आज हम 24 प्रतिशत पर आ गए हैं। अत्यंत कमी आ गई है और इस देश के किसान को चिढ़ हो गई है। महोदय, जब हम किसानों के पास जाते हैं तो किसान हमको कहता है कि यदि आप बोलना शुरू कर रहे हैं तो कृपा करके सब कहना लेकिन हमको "अन्नदाता" मत कहना। एक ज़माने में किसान को "अन्नदाता" कहा जाता था लेकिन यदि आज हम उसको "अन्नदाता" कहते हैं तो वह हमको डांट कर कहता है कि आप पाखंड कर रहे हैं। इस देश का किसान आज इस देश में अन्नदाता बनने के लिए तैयार नहीं है, उसका बेटा किसान बनने के लिए तैयार नहीं है। बनिया का बेटा बनिया बन जाता है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण का काम करता है लेकिन किसान का बेटा अब किसान बनकर खेती नहीं करना चाहता। उस मोड़ पर लाकर आपने उसको खड़ा कर दिया है। आज हर बात में यह सरकार कहती है, क्षमा करना यहां प्रणब दा मौजूद हैं और मैं उनकी उपस्थिति में एक बात कहता हूं। हर बात में एक बात आती है सरकार की तरफ से कि यह सब कांग्रेस ने किया था, हम तो कांग्रेस की नीतियों का ही अनुपालन कर रहे हैं, यह सब हमने कांग्रेस से लिया है, तब मेरी हंसी छूट जाती है कि क्या कहा जाए इन्हें? मनमोहन सिंह जी की नीतियों का और प्रणब मुखर्जी साहब की नीतियों का अनुपालन अगर आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो ये दोनों इस सदन में हैं, इनसे पूछ लीजिए। अगर मेरे पिताजी ने कुर्ता-पाजामा बनाकर मुझे दिया है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको सीधा पहनूं, मैं उसको उलटा तो न पहनूं। अगर मैं उल्टा पहनकर बाजार में जाऊंगा तो लोग मेरे बाप पर भी हसेंगे और मुझ पर भी हसेंगे। श्रीमन्, इन्हें समझाइए कि पजामे की नाड़ी आगे बांधी जाती है, पीछे नहीं बांधी जाती है। बटन आगे लगाए जाते हैं, पीछे नहीं लगाए जाते हैं। ये लोग हर बात में कहते हैं कि कांग्रेस ने किया था इसलिए हम कर रहे हैं। आप इस तरह से देश को नहीं चला सकेंगे। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूं कि किसान असंगठित है और इस सरकार का रिकार्ड है कि गए पचास-चव्वन सालों में इस देश के किसानों ने जितनी आत्महत्याएं इस सरकार के कार्यकाल में की हैं, उतनी इससे पहले कभी नहीं कीं। अब भी आप कहिए कि कांग्रेस से चार्ज मिला है, बोलिए। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि जितनी आत्महत्याएं इस देश में किसानों ने पिछले तीन सालों में कीं उतनी कभी नहीं की गई और इस तथ्य को सरकार को स्वीकार करना चाहिए। इस सरकार के मुंह पर कालिख लगी हुई है, उसे स्वीकार करना चाहिए। अर्थशास्त्र भी किसान के खिलाफ हो गया है। मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। आप खुद किसान हैं इसलिए कहना चाहता हूं, अजीत सिंह जी यहां नहीं हैं अगर वे इस डिबेट को गंभीरता से लेते तो बैठते क्योंकि नीति निर्णय में उनका हिस्सा होता है, राज्य

मंत्री का नहीं होता है लेकिन आप नोट्स ले रहे हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आप इन्हें समझाइए, अगर हमसे गलती हो गई है तो उस गलती को आप अडोप्ट मत कीजिए लेकिन इतना तो कर लीजिए कि आप समर्थन मूल्य बोने से पहले ही घोषित कर दें ताकि किसान को पता चले कि वह क्या बोए। वह जब फसल काट लेता है, फसल जब खलिहान में आ जाती है, गोदाम में चली जाती है तब आप समर्थन मूल्य तय करते हैं। पहले तय कीजिए कि इस साल में यह देंगे ताकि किसान बोने से पहले सोचे कि वह इस फसल को बोए या नहीं बोए। हम उसके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं ...**(व्यवधान)**... वह बोए कि नहीं बोए, काटे या नहीं काटे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं बहुत थोड़ा समय लूंगा। आपका करिश्मा। किसान कैसे खुश होगा? क्यों नहीं आत्महत्या करेगा? इसलिए आत्महत्या करेगा क्योंकि एक तरफ तो आप पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, कारगिल का युद्ध चल रहा है। आप कहते हैं कि यह हमारा दुश्मन है। हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, आपके जवान शहीद हो रहे हैं, आपकी बहू-बेटियां विधवा हो रही हैं और आप उसी समय किसान को गन्ना जलाने पर मजबूर करते हैं। शक्कर किससे लेते हैं आप? आप शक्कर पाकिस्तान से मंगवाते है। नवाज शरीफ की फैक्ट्रियों से यह शक्कर आता है। आप उसे दुश्मन घोषित करते हैं और उसी की फैक्ट्री से शक्कर लेते हैं और हमें आप उन दिनों यह शक्कर खिलाते हैं जब आप उसे दुश्मन घोषित करते हैं। यहां का किसान शक्कर के मामले में मार खा जाता है, गन्ने के मामले में मार खा जाता है। यही आपने तेल के मामले में किया। जब भरपूर सोयाबीन था तो आप सरसों को कहां ले गए थे? दो हजार रुपये क्विंटल वाली सरसों बारह सौ रुपये क्विंटल में आपके राज्य में अभी-अभी बिकी है। आपने इतना तेल बाहर से मंगवा लिया। मंत्री जी मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं। शायद आप उसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। आपके कृषि मंत्री तो उत्तर बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। मैं किसी को कोट नहीं करना चाहता ...**(व्यवधान)**... आपकी भी यही पीड़ा है लल्लन भाई, और मेरी भी यही पीड़ा है। ...**(व्यवधान)**... आप उत्तर नहीं दे पाएंगे।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बिहार): ज्यादा गंभीर सवाल मत पूछिए।

श्री बालकवि बैरागी : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मेरा बहुत छोटा-सा सवाल है। पत्र मेरा नहीं है। आपके यहां पर बजट 28 फरवरी को पेश होता है और इस देश के 21, 22 मार्च के अखबार बोलते हैं कि "बजट को लेकर केंद्र से टकराने के मूड में हैं अजीत"। आपके कृषि मंत्री जी ने दो पत्र लिखे ...**(व्यवधान)**... अभी समाप्त करता हूं। एक तो लिखा है सिन्हा साहब को और दूसरा आपके अपने पर्यावरण मंत्री श्री बालू साहब को। दोनों से कहा है कि आप जो कर रहे हैं यह सब ठीक नहीं है, इससे किसान को तकलीफ होगी और आप कृपा करके इसे ठीक कर दीजिए। दोनों डिपार्टमेंट से उन पत्रों का क्या उत्तर दिया गया, यह मैं जानना चाहता हूं, देश जानना चाहता है। नैनी में इलाहाबाद कृषि विश्वविद्यालय का जो दीक्षांत समारोह होता है उसमें भाषण देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री मुरली मनोहर जोशी जाते हैं, उन्होंने भी इस बजट को लेकर चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सब गड़बड़ हो रही है। क्या उत्तर है इसका आपके पास? जब सदन में हम इन बातों को कहते हैं तो कृषि मंत्रालय के पास कोई उत्तर नहीं होता है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं, आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता लेकिन सिर्फ इतना भर कहना चाहता हूं कि इस आसंदी पर, यहां खड़े होकर इस देश के प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य दिया था - माननीय सभापति महोदय, इस देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसान ने ज्यादा पैदा कर दिया है, हम उस अनाज को कहां रखें? जिस देश

में ज्यादा पैदा करना प्रधानमंत्री जी के लिए समस्या हो सकती है उस देश के कृषि मंत्रालय को नये सिरे से सोचना चाहिए कि आप अपने प्रधानमंत्री के लिए समस्याएं पैदा मत कीजिए।

आप हतोत्साहित कर रहे हैं। ज्यादा पैदा करने पर अनाज सड़वा रहे हैं। क्या होगा उसका? इस देश के प्रधान मंत्री कहां पाए जाते हैं? आप लोग, मंत्रिमंडल के सदस्य कहां पाए जाते हैं? वे चैम्बर आफ कामर्स की बैठकों में पाए जाते हैं, सीआईआई की बैठकों में पाए जाते हैं। लेकिन माननीय उपसभाध्यक्ष जी, इस देश के प्रधान मंत्री को गए तीन साल में किसानों के बीच में एक दिन भी बैठे हुए नहीं देखा। जो प्रधान मंत्री इस देश के किसानों से आंखें चुराए, जो सरकार इस देश के किसानों से आंखे चुराए वह इस देश में कृषि नीति को कभी लागू कर सकेगी? यह विचार करने की बात है ...*(समय की घंटी)*... मैं समाप्त कर रहा हूं।

औद्योगिक उत्पाद का मूल्य स्वयं उत्पादनकर्ता तय करता है। मोची अपने जूते का मूल्य खुद तय करता है, कार बनाने वाला अपनी कार का मूल्य खुद तय करता है लेकिन हमारे यहां तो बड़ी विचित्र स्थिति है कि किसान पैदा करता है, मूल्य बिचौलिया तय करता है। हम कहां हैं उसको तय करने के लिए, किसानों को कौन पूछता है? इन सारी बातों पर आप विचार करें। किसान चूंकि सहनशील है, हमारा देहात शोषण को बर्दाश्त करता है उसका दुरुपयोग यह सरकार यहां पर बैठकर कर रही है। किसान की सहनशीलता और हमारे गांव की सहनशक्ति को कृपा करके शोषित मत कीजिए।

यूरिया का मौसम है। यूरिया सामने आ रहा है। दुगनी, तिगुनी कीमतों पर यूरिया को खरीदना पड़ेगा। किंतु आपके पास उत्तर नहीं है। आप सब्सिडी किसको देते हैं? उनको देते हैं जो पैदा कर रहे हैं। उनको नहीं देते हैं जो खर्च कर रहे हैं। किसान को नहीं मिलती है। सारा का सारा खाद गड़बड़ में चला जाता है। यह तो किसान की हिम्मत है, ईश्वर की कृपा है कि उसने उसके साथ हुए सारे अन्याय को बर्दाश्त करते हुए भी इतना ज्यादा पैदा कर दिया। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं क्योंकि इस देश के कृषि मंत्री स्वयं एक किसान के पुत्र हैं और ये राज्य मंत्री स्वयं किसान हैं, मैं निजी तौर से जानता हूं, मेरा विश्वास है कम से कम ये नीतियों में हस्तक्षेप करेंगे और इस बजट के बहाने, मंत्रालय के बहाने इस देश के किसान को अधिक से अधिक राहत दे सकेंगे ताकि इस देश में जो भी क्रांतियां सफल हो रही हैं उनका सही श्रेय किसान को मिले और उसको हम उसका सही यश दे सकें। यह मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं।

आपने मुझे गंभीरता के साथ सुना इसके लिए मैं आपका बहुत आभार मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (हरियाणा) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष जी आपने मुझे कृषि मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं।

मान्यवर, मजबूरी है मुझे उधर की बात कहनी होगी। अभी कांग्रेस के हमारे माननीय नेता बोल रहे थे, साथी बोल रहे थे। सबसे पहले तो मैं एक संशोधन करना चाहता हूं *... क्योंकि

---

*Expunged as ordered by the Chair.

चौधरी चरण सिंह ने अपने जीते जी यह कहा था कि अजीत सिंह मेरा बेटा तो है पर मेरे किसानों का नेता नहीं हो सकता। चौधरी चरण सिंह के विश्वविद्यालय के छात्र रामगोपाल जी बैठे हैं, रमा शंकर कौशिक जी बैठे हैं, हरेन्द्र सिंह मलिक बैठे हैं। ये कभी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के छात्र नहीं रहे। जिस आदमी को खेत की नाली और खाल के अंतर का पता नहीं, डोल और डंडी के अंतर का पता नहीं, जिस आदमी को गेहूं और जौ की बाली के अंतर की जानकारी नहीं, वह चौधरी चरण सिंह का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। चौधरी चरण सिंह का नाम उनके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। चौधरी चरण सिंह किसी व्यक्ति की धरोहर नहीं थे। चौधरी चरण सिंह हम लोगों की, सब किसानों की धरोहर थे। उनके साथ नाम जोड़कर कलंकित न करें, यह मेरा अनुरोध है।

तो साहब, खेती के लिए सबसे पहले जमीन की आवश्यकता है, खेत की आवश्यकता है, बीज और पानी की आवश्यकता होती है। हम किसान के बेटे हैं। दुर्भाग्य से यहां अदर्स में बोलने में हमारा नाम है। समय भी नहीं मिल पाता। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उदारतापूर्वक सुन लें। आज भी मैं किसान का काम करके घर से आया हूं। मेरा सवाल सुबह था वह भी छूट गया। यादव जी बैठे हैं। इनको तो मीटिंग में भी नहीं बुलाया जाता। क्या आपके मंत्रालय से जो आपको बजट मिला था, उसका इस्तेमाल किया? आपका मंत्रालय पूरा का पूरा नाफेड की खरीद और फरोख्त में लग गया। सुना है, चेयरमैन कुछ ईमानदार था, वाईस चेयरमैन ने कहा कि सरसों नहीं बेचोगे, खोपरा या जो नारियल है वह नहीं बेचोगे। मेरा अनुरोध है माननीय यादव जी से, आप फाइल मंगवाकर देख लीजिएगा कि नाफेड में क्या क्या कारनामें हो रहे हैं। वहां वाईस चेयरमैन क्या कर रहा है? जो आपने डायरेक्टर नामीनेट किए हैं, उनके * ...ने कभी खेती की है **...(व्यवधान)...**

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तरांचल) : महोदय, यह असंसदीय है। यह भाषा निकाल दी जाए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : नहीं नहीं, इस ढंग से मत बोलिए मलिक जी।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक : मान्यवर, मैं मार्गदर्शन चाहूंगा। आप मुझे बता दें, मैं पालन कर लूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : संसदीय, शिष्टता और शालीनता के साथ आप बोलें।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक: असंसदीय जो है वह मुझे बता दें मान्यवर।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : नहीं, नहीं, आप खुद समझते हैं।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक: अच्छा, उन्हें पूर्वज कह लीजिए। * मैं क्षमा चाहूंगा। मैं यह कह रहा था मान्यवर कि पीड़ा होती है। हम लोग जेठ की तपती दुपहरी में खेत में जाकर काम करते हैं। मैंने केवल इतना अनुरोध किया आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि आप उस पर श्वेत पत्र जारी करा लें कि नाफेड ने क्या-क्या काम किए हैं। दिल्ली मिल्क सप्लाई में जो दूध की श्वेत क्रांति की बात करते हैं, दिल्ली मिल्क सप्लाई में किसी एक भी आदमी का दूध मेरी जानकारी के मुताबिक बिना पैसे दिए नहीं लग पा रहा है।

* Expunged as ordered by the Chair.

आज हम श्वेत क्रांति की बात तो कर रहे हैं, हमारे जो पशुओं की नस्लें हैं उनका क्या हाल हो रहा है? हम आस्ट्रेलिया की नकल करते हैं, जहां लैंड होल्डिंग ज्यादा है। हम लोगों ने दूध की तादाद तो बढ़ाई परन्तु अपनी हम साहीवाल नस्ल का क्या कर पाए, हमारे जो हरियाणा की गाय की नस्ल थी उसको क्या हम संरक्षित कर पाए। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि हमारी लैंड होल्डिंग छोटी है, हमारे किसान को जहां दूध बेचना है उसके साथ-साथ वहां उसको पशु भी चाहिए जो यह संकर नस्ल की गाय और पशु हैं, बछड़े हैं, ये हमारी खेती करने में अधिक सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, मैं हरित क्रांति के बारे में यह कहना चाहता हूं कि हरित क्रांति की जहां बात आई है इस हरित क्रांति का श्रेय सरकारों को नहीं गया है, हरित क्रांति का श्रेय उस किसान को है जिसने अपने पेट को काट करके, जिसने अपने 6 साल के बच्चे से ले करके 90 साल के बूढ़े बाबा को ले करके खेत पर काम किया, अपनी मजदूरी नहीं जोड़ी, वह ज्येष्ठ की तपती दोपहरी में, महापोह के जाड़े में, पाले में खड़े हो करके, बरसात में खड़े हो करके खेत में काम करता है, क्या किसी ने कभी उसकी तरफ देखा है। आज किसान का गेहूं बाजार में है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अभी एक उप समिति बनाएं, मेरे साथ चलें, मैं खुद बागपत में गया था, माननीय कृषि मंत्री के क्षेत्र में गया था, गेहूं का किसान लाइन लगाए खड़ा है। उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं। भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है, पंजाब और हरियाणा को छोड़ करके कहीं गेहूं की खरीद का काम हो रहा है? मान्यवर, जिस किसान ने गेहूं पैदा किया उसका क्या हाल है, वह बिचौलिए को 500 रुपये क्विंटल तक गेहूं बेच रहा है। पूर्वांचल के लोग बैठे हैं, बिहार के लोग बैठे हैं, कहां नहीं बिक रहा है, इसके भंडारण की कौन व्यवस्था करेगा? मान्यवर, गन्ना उत्पादन की बात करते हैं, गन्ना उत्पादन को तो मेरा तो सीधा अनुरोध है, माननीय गौतम जी नाराज़ हो गए थे, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जरा श्वेत पत्र तो जारी करें। श्वेत पत्र जारी करें, मलिकपुर चीनी मिल माननीय कृषि मंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में आता है, उनके लोक सभा क्षेत्र में है, 31 दिसंबर के बाद एक फूटी पाई क्या किसी किसान को मिली? मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं, यहां विद्वान लोग बैठे हैं, आपके माध्यम से मैं सरकार से जानना चाहता हूं क्या किसी चीनी मिल को बैंकिंग के लाइसेंस दिए गए हैं? मलिकपुर चीनी मिल ने पिछले साल सारे किसानों का पैसा जमा करा लिया और एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि आपको इतने परसेंट ब्याज़ दे दिया जाएगा। उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही वित्तीय प्रावधानों के तहत नहीं की गई। मान्यवर, पूरे हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा अगर कहीं किसान दुखी है तो बागपत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ज्यादा दुखी हैं। मेरा आपसे अनुरोध है और मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जो बजट आवंटित हुआ था, हरियाणा को छोड़ करके कहां और किस प्रदेश में इस्तेमाल हुआ, कहां कमजोरी रही? हम चार दर्जन के करीब कृषि विश्वविद्यालय लिए हुए बैठे हैं, कहां शोध संस्थान चल रहे हैं, आज अगर सब से ज्यादा बुरा दिन किसी के साथ है तो आपके कृषि वैज्ञानिकों के साथ है। मान्यवर, आज कृषि मंत्रालय को देवी लाल जैसे किसी बोल्ड आदमी की जरूरत है, मैं अनुरोध करना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी बैठे हैं, जो इन्होंने फैसले लिए थे उन्हें निकलवा करके देख लें।

मान्यवर सिंचाई के मामले में कहना चाहता हूं। एक पत्र मैंने पढ़ा अभी उसका हवाला माननीय कांग्रेस के साथी भी दे रहे थे, शायद माननीय मंत्री जी यह नहीं जानते कि आज की तारीख में 10 हॉर्स पॉवर का मोटर पानी निकालने में अक्षम है। हम किसान के बेटे हैं, हम खेती करते हैं, हम इस बात को जानते हैं, 15 हॉर्स पॉवर से कम का मोटर पानी नहीं निकाल पा रहा, और उस क्षेत्र में जहां कि कृषि मंत्री ने 10 हॉर्स पॉवर के मोटर के लिए कह दिया, हो सकता है

कि उद्योग से संबंधित लोग मिल लिए हों कि एक्साइज़ घटवा दें। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि कृषि कार्य में जो भी मोटर या पंप सैट लगे उस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, वह ड्यूटी फ्री होना चाहिए। इनपुट्स की कीमत अगर घटेगी और आउटपुट की क़ीमत बढ़ेगी तो किसान बचेगा, नहीं तो किसान कहां बच पायेगा? जल स्तर जो रोज नीचे जा रहा है, क्या उसको रोकने का काम कृषि मंत्रालय ने किया है? केवल नैफेड की खरीद-फरोख्त में लगे रहे, दूध कौन बेचेगा इसमें लगे रहे और हम तो चाहते हैं, अगर हम से कोई बुरी बात कही गई हो तो एक संयुक्त समिति बना कर उसकी जांच करा लें। हम दावे के साथ कहते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, उस गरीब किसान के नाम पर, अफसोस तो यह है कि कृषि मंत्रालय का कार्यभार आलू की तरह होगा, कभी इस सब्जी में डाल दिया कभी उस सब्जी में डाल दिया। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि इसे गंभीरता से ले करके जो मैंने आरोप लगाए हैं और जो मैंने बिंदु उठाए हैं, पीड़ा के साथ उठाए हैं, उन पर कम से कम हमको जवाब तो दिलवाया जाए।

मान्यवर, दलहन और तिलहन के मामले में मैं कहना चाहता हूं। आज खाद्यान्न के मामले में हम ऊपर आ रहे हैं, दलहन और तिलहन का आज भी 40 फीसदी आयात होता है। आठ से दस हजार करोड़ रुपये प्रति साल चले जाते हैं। उसके बदले में किसान के बेटे को क्या मिलता है, किसान को क्या मिलता है? मान्यवर, हमारा आपसे अनुरोध है कि कम से कम ...***(समय की घंटी)***... अभी तो मन की बात नहीं कही है, यह जो कागज़ हैं इनका क्या करूं ... **(व्यवधान)** ...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : चलिए बोलिए, मलिक साहब।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक : जी, सर। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि भू जल स्तर रोज नीचे जा रहा है, उस पर सरकार ने कोई गंभीरता से कदम नहीं उठाया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि गिरते भू जल स्तर को रोकने के लिए कम से कम जो हमारे तालाब हैं, उनका सुदृढ़ीकरण करा करके और बरसात के पानी को रोककर भू-जलस्तर को ऊपर उठाने का काम करें। जो नदियां जमीन से 20-30 फुट नीचे बह रही हैं, उन्हें भी देखने का काम करें ताकि हर 2-3 किलोमीटर के ऊपर ठोकर लगवाकर भू-जलस्तर को उठाया जा सके। मान्यवर, जहां तक खाद की बात है, यह भी दिखवा लें कि आज हमारा किसान नाइट्रोजन का इस्तेमाल, फॉस्फोरस और पोटास की जगह ज्यादा कर रहा है। उसे टी. एंड वी. प्रोग्राम के तहत इस संबंध में शिक्षा दी जानी चाहिए। महोदय, एक बात बड़े जोर-शोर से कही जाती है कि किसान को क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। आज सारे मल्टी-नेशनल बैंक्स मारे-मारे फिर रहे हैं कि हम से कर्ज ले लो। आप इस तरह मशीनों के जाल में किसान को फांसकर उसके मुंह से निवाला छीनकर उसे कर्ज में डुबोना चाहते हैं। मैं पूछता हूं क्या आप बिना ब्याज के किसान को क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं? उस का ब्याज कौन देगा? मैं गांव का आदमी हूं। मैं गांव के किसान की पीड़ा को जानता हूं। मान्यवर, किसान कभी कर्ज से मुक्त नहीं होता है। उसकी जमीन नीलाम होती है। हर साल लोगों की जमीन नीलाम हुआ करती है क्योंकि वह कर्ज के जाल में फंस जाता है। अगर सरकार इतनी उदार है तो मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि वह कम से कम अपनी पूर्ववर्ती कृषि मंत्री का लिहाज रख लें और किसानों के देवता का ध्यान रख लें और किसान कार्ड पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 परसेंट कर दें तो किसान का कुछ भला हो पाएगा। इसके साथ ही एक खास बात और कहना चाहूंगा कि आठवीं या दसवीं कक्षा से कृषि की शिक्षा को अनिवार्य किया जाए। उपसभाध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से अंतिम बात कहना चाहूंगा कि

"नाफेड" और "डी0एम0एस0" जैसी संस्थाओं में आज जो कुछ हो रहा उसके बारे में एक श्वेत पत्र जारी कर दें। मैं जानता हूं कि हुक्मदेव नारायण यादव जी ने कुछ नहीं लिया है, परंतु किसान की सरसों क्यों नहीं बिकी, क्यों खाद्यान्न की कीमत बढ़ी, इस बारे में भी एक श्वेत-पत्र जारी किया जाए।

SHRI S. AGNIRAJ (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this particular issue. We keep on saying that agriculture is the backbone of our country, but the fact is that the backbone of the farmers of our country has been broken by indebtedness and poverty. We speak of a surplus foodgrains production in our country, but we forget those who produce it. About 200 million farmers feed the 800 million people of our country. The agricultural policy of our country was developed at a time when the country was, actually, short of food. It had made a lot of progress because of the Green Revolution. The Government has sanctioned Rs. 64,600 crores for this purpose. I thank the Minister for that. We are having a surplus of sugar, rice, wheat and milk; all this is lying unused. I would like to know how you are going to dispose of the products. The Minister should clarify this point. And, what is his action plan for the future? The foodgrains stored in the godowns are lying unutilized. The Minister should clarify this. Many small farmers are switching over from agriculture to other areas, for survival. This is one of the reasons why our agricultural growth has declined from 3.9 per cent in 1980, to 3.3 per cent in 1990. This point was mentioned in the Draft Approach Paper of the Tenth Five Year Plan. That is why the Government has declared agriculture as a core element of the Tenth Plan. Some of the steps taken by the Government to promote agriculture and to protect the farmers are welcome.

The National Crop Insurance Scheme does not cover all the farmers. It covers only a part of India. There is another scheme called the Farmers' Group Insurance Scheme. It is a good scheme. But it is only meant for agricultural labourers, small and marginal farmers. This Scheme is being implemented in just 50 blocks of our country. And it is going to benefit 20,000 landless farmers. But, Sir, there are 23 crore 50 lakh people who are not covered under this scheme. So, the Minister should keep this in mind and take suitable action. The Government has been talking about reforms in agriculture and the freedom of farmers.

The Hon'ble Minister of Finance, in his Budget Speech, referred to the removal of restrictions on storage and movement of foodgrains, But our farmers do not have the capacity to store and move foodgrains from one place to another. Some middlemen are there. All these transactions take

place through middlemen. So, in Tamil Nadu, under a new scheme, the previous Government had set up 'farmers' market'. Nowhere in India, there are such farmers' markets. In Tamil Nadu also, previously, there were no farmers' markets. The previous Government had set up 'farmers' market'. Under this scheme, the farmers were able to sell their produce directly to the people. Therefore, I would request the hon. Minister to set up farmers' markets in all the villages.

Sir, water is essential for irrigation purposes. Out of the annual potential of 8369 lakh cusbic metres flow of water in Indian rivers, only 1200 lakh cusbic metres is being used by us. Remaining water flows into the sea; it goes waste.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Please conclude now.

SHRI S. AGNIRAJ: Sir, I will conclude in two minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): No two minutes. Please conclude.

SHRI S. AGNIRAJ: Sir, the problem of sharing of river waters between Tamil Nadu, Karnataka and Kerala has still not been resolved. I request that the Central Government should intervene in the matter, so that Tamil Nadu gets its own share. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Shri N. R. Dasari, your party's time is three minutes.

SHRI N.R. DASARI (Andhra Pradesh): Pardon, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): You have only three minutes.

SHRI N.R. DASARI: Anyway, Sir, in order to honour the direction of the Vice-Chairman, I would abide by the time limit. I do not want to go into the arithmetic aspect of the functioning of the Ministry of Agriculture, because there is not much time at my disposal. There is much to speak, no doubt, but I would like to make just two or three points.

In our State of Andhra Pradesh, a Commission headed by no less than Justice P.S. Choudhary, has gone round the different districts in order to find out the basic reasons for the increasing number of suicides amongst the farmers. It is quite startling for us to know that in the course of the last four-and-a-half years, 693 farmers have committed suicide. This is the

Report of the Commission. The members of the Commission are very responsible people -- retired professors of universities, experienced agro-economists, etc. This is the state of affairs. So, It is high time the Government of India takes stock of the situation, of the plight of the peasants. It has been happening not only in Andhra Pradesh -- as my colleagues have already expressed --it is happening in other States also. Why? Because the agricultural sector has been facing a multi-dimensional crisis, and this crisis has been growing year by year, in the course of last five or six years. This I want to put on record.

Secondly, even after more than 50 years, still, the land reforms remain an unfinished agenda. Many a times, this has come up for discussion. I, myself, am referring to this aspect for the third time. There are 20 crore acres of Government land; leave alone the questions of Land Ceiling Act, etc. What for are these Government lands? When Rajiv Gandhi appointed a panel, headed by Kamala Rai, she pointed out that most of this land was fit for cultivation, and that land was a very rich source of financial wealth also.

Sir, more than one decade has passed, but nothing has been done. The moment our Chief Minister, Shri N. Chandrababu Naidu, took over the Administration, he told the farmers and the landless poor that there was a lot of Government land available, 85 lakhs acres of land, which was fit for cultivation. He coined a new slogan 'Don't fight for land, try to make use of the land.' He said, 'There is ample land available which I am prepared to allot to you'. But nothing has been done so far even in my own State. That is the situation. So, my point is, in order to avoid the multi-dimensional crisis which we are facing in the agricultural sector, the first and foremost requisite is to implement the land reforms. Maybe, there are some lapses. But let us count on the experience of Japan, rather the rich experience of Japan. There is a notion, and there is a wrong concept, that 'the less the land, the less the productivity.' It is a totally wrong concept. In Japan, after the land reforms have been implemented, the maximum land that has been allotted for the landless poor, after the Second World War, has been only one hectare, and only in a few cases, more than one hectare land was allotted. That was the case in Japan. But even then, the kind of productivity they have achieved is the maximum. So far as Asia is concerned, it is the maximum.

Therefore, I suggest that the Government should take up the question of land reforms and the question of distribution of Government

land, as expeditiously as possible. I would also like to suggest that the Government of India should help the State Governments. What can the State Government in Andhra Pradesh do, when the magnitude of suicides is so high? Unless the Central Government comes to the rescue of the State Governments, nothing can be done. Merely by sending some big or small amounts of food or giving some subsidy or some partial aid to the farmers, things can not improve. The States must be substantially helped so that they are able to pay for bringing about improvements in the agricultural sector, not only in the State of Andhra Pradesh, but in other States as well.

Sir, ours is a country which is having a very rich soil, and it is a country which is having a lot of water resources. We are having many rivers. There is no scarcity or water at all. And, ours is a country which, since ancient times, has been well known for its proficiency in agriculture in the entire world. That being so, it is now for the Government of India to take this question seriously. I do not want to go into the arithmetics as to how much amount has been allocated to this sector, and all that. I know that some of my colleagues have already drawn attention to the fact that the amount that used to be allocated for agriculture has been going down year after year. That is not my point. My point is about the basic policy.

Sir, before I conclude, I would like to know from the hon. Minister of Agriculture whether he is honestly following the Approach Paper of the Tenth Plan. Are you honestly following it? If that is so, you have to bring about expeditious implementation of certain measures that I have suggested. Thank you very much.

SHRI M.V. RAJASHEKARAN (Karnataka): Thank you, Mr. Vice-Chairman, for giving me an opportunity.

Sir, I rise to speak on the working of the Ministry of Agriculture, with great concern and anguish. The development of agriculture is of vital importance for the very survival of this nation. Agriculture not only provides food security and nutritional security to millions of people, but also to poor people, especially, those who are living below the poverty line. A number of friends who spoke earlier have given a good deal of statistics as to how agriculture is neglected by this Government. I don't want to repeat those statistics because I do not want to waste the precious time of the House. As per the statistics presented in the House, one would note how this NDA Government has miserably failed to give the much needed attention to agriculture, in spite of their declarations of commitment to the development

of agriculture. Under the Ninth Plan and the Tenth Plan, an average investment on agriculture and irrigation has come down from 14.4 per cent to 11.4 per cent. Sir, the NDA Government has been spending more time in keeping their flock together than to look to the interests of the farmers. If this Government continues to neglect the interests of the farmers, they will be thrown to the dustbin of the history.

Sir, through you, I would like to draw the attention of this House to what happened in Indonesia under the rule of Mr. Suharto, who was one of the most powerful Presidents, which Indonesia ever had. For only 10 to 15 days there was no availability of food, products in the market. As a result his Government was overthrown. Similarly, once considered as the super-power, the Soviet Union was broken into pieces giving rise to the formation of the Commonwealth of Independent States simply because there was a food shortage for a few years.

THE VICE-CHAIRMAN (Shri Suresh Pachouri): Mr. Rajashekaran, you may continue your speech tomorrow. Before the Houses rises for the day, Shri Nitish Kumar, will lay a statement regarding accident of 2402 Down New Delhi-Patna Shramjeevi Express.

STATEMENT BY MINISTER

ACCIDENT OF 2402 DN NEW DELHI-PATNA SHRAMJEEVI EXPRESS BETWEEN KEHTA SARAI AND MEHRAWAN STATIONS ON FAIZABAD - ZAFRABAD SECTION OF LUCKNOW DIVISION ON NORTHERN RAILWAY ON 12TH MAY, 2002.

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : मैं उत्तर रेलवे पर लखनऊ मंडल के फैजाबाद-जाफराबाद खण्ड पर खेता सराय और मेहरावों स्टेशनों के बीच २४०२ डाउन नई दिल्ली - पटना श्रमजीवी एक्सप्रेस की दुर्घटना के संबंध में एक स्वप्रेरित बयान सभापटल पर रखता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : इस संबंध में स्पष्टीकरण बाद में पूछे जाएंगे। अब सदन की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक १४ मई, २००२ प्रातः ११ बजे तक स्थगित की जाती है।

The House then adjourned at fiftyeight minutes past five of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 14th May, 2002.

MGIP(PLU)MRND—3031RS—21.09.2002.